

अप्रैल - सितंबर, 2025

यूको दीप

बेगूसराय अंचल की छमाही पत्रिका



यूको बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)



UCO BANK

(A Govt. of India Undertaking)

सम्मान आपके विश्वास का

Honours Your Trust



हमारा विजन

एक ऐसी विश्वस्तरीय वित्तीय संस्था के रूप में सामने आना जो अत्यंत विश्वस्त और प्रशंसनीय हो तथा जिसे प्रत्येक ग्राहक व निवेशक बहुत पसंद करते हों एवं जिस पर उसके कर्मचारियों को गर्व हो।

Our Vision

To emerge as the most trusted, admired and sought after world class financial institution and to be the most preferred destination for every customer and investor and a place of pride for its employees.

हमारा मिशन

कर्मचारियों की कार्यकुशलता को बढ़ाकर उनकी प्रभावी सहभागिता से एवं नवीनतम प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा कारोबार तथा लाभप्रदता में सतत वृद्धि करते हुए एवं सर्वोत्तम ग्राहक सेवा प्रदान कर सामाजिक-आर्थिक दायित्वों को पूरा करने हेतु सर्वोत्तम श्रेणी का बैंक कहलाना।

Our Mission

To be a Top Class Bank to achieve sustained growth of Business and profitability fulfilling socio economic obligations, excellence in customer service through upgradation of skills of staff their effective participation and making use of state-of-the art technology.

यूको दीप

अंचल कार्यालय, बेगूसराय की छमाही पत्रिका

अंक-1
अप्रैल-सितंबर, 2025

संरक्षक

श्वेत प्रकाश कच्छप
उप महाप्रबंधक व अंचल प्रमुख

प्रेरणा

वेद प्रकाश
उप अंचल प्रमुख

दिग्दर्शन

प्रमोद कुमार
मुख्य प्रबंधक

अनिल सलारिया
मुख्य प्रबंधक

संपादक

राम अभिषेक तिवारी
प्रबंधक (राजभाषा)

नोट : पत्रिका में व्यक्त विचार
लेखकों के हैं, बैंक के नहीं।

विषय-वस्तु

पृष्ठ सं.

माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री का संदेश	4
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश	6
अंचल प्रबंधक का संदेश	7
उप अंचल प्रबंधक का संदेश	8
संपादकीय	9
राजभाषा विभाग, भारत सरकार की राजभाषा प्रतिज्ञा	10
बैंकिंग एवं स्वयं सहायता समूह - गौतम कुमार	11
बैंकिंग में मानव संसाधन प्रबंधन - अभिजीत कुमार गिरि	12
कविता	14
विश्व पटल पर हिंदी : विश्व भाषा के रूप में	15
साइबर आतंकवाद - अमन कुमार	19
भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों की भूमिका	23
यात्रा वृत्तांत - हरिमोहन मीणा	24
बैंक में धोखाधड़ी की कार्य प्रणाली और सीखने योग्य बातें	29
भारत के संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान	32
गतिविधियां	36
बाल कला	41

प्रकाशन एवं संपर्क

यूको बैंक, अंचल कार्यालय, बेगूसराय
सोना जोगेश्वर कॉम्प्लेक्स, ट्रेफिक चौक
ई-मेल : zobegusarai.ol@ucobank.co.in

अमित शाह
गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री
भारत सरकार



प्रिय देशवासियो !

आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

भारत मूलतः भाषा-प्रधान देश है। हमारी भाषाएँ सदियों से संस्कृति, इतिहास, परंपराओं, ज्ञान-विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम रही हैं। हिमालय की ऊँचाइयों से लेकर दक्षिण के विशाल समुद्र तटों तक, मरुभूमि से लेकर बौद्ध जंगलों और गाँव की चौपालों तक, भाषाओं ने हर परिस्थिति में मनुष्य को संवाद और अभिव्यक्ति के माध्यम से संगठित रहने और एकजुट होकर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया है।

मिलकर चलो, मिलकर सोचो और मिलकर बोलो, यही हमारी भाषाई और सांस्कृतिक चेतना का मूल मंत्र रहा है।

भारत की भाषाओं की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि उन्होंने हर वर्ग और समुदाय को अभिव्यक्ति का अवसर दिया। पूर्वोत्तर में बौद्ध का गान, तमिलनाडु में ओवियालू की आवाज, पंजाब में लोहड़ी के गीत, बिहार में विद्यापति की पदावली, बंगाल में बाउल संत के भजन, आदिम समाज में ढोल-मांदर की थाप पर करमा की गूँज, माताओं की लोरियाँ, किसानों का बारहमासा, कजरी गीत, मिखारी ठाकुर की बिदेशिया, इन सबने हमारी संस्कृति को जीवन्त और लोककल्याणकारी बनाया है।

मेरा स्पष्ट मानना है कि भारतीय भाषाएँ एक दूसरे की सहचर बनकर, एकता के सूत्र में बंधकर आगे बढ़ रही हैं। संत तिरुवल्लुवर को जितनी भावुकता से दक्षिण में गाया जाता है, उतनी ही रुचि से उत्तर में भी पढ़ा जाता है। कृष्णदेवराय जितने लोकप्रिय दक्षिण में हुए, उतने ही उत्तर में भी। सुब्रह्मण्यम भारती की राष्ट्रप्रेम से ओत-प्रोत रचनाएँ हर क्षेत्र के युवाओं में राष्ट्रप्रेम को प्रबल बनाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास को हर एक देशवासी पूजता है, संत कबीर के दोहे तमिल, कन्नड़ और मलयालम अनुवादों में पाए जाते रहे हैं। सूरदास की पदावली दक्षिण भारत के मंदिरों और संगीत परंपरा में आज भी प्रचलित है। श्रीमंत शंकरदेव, महापुरुष माधवदेव को हर एक वैष्णव जानता है। और, भूपेन हजारिका को हरियाणा का युवा भी गुनगुनाता है।

गुलामी के कठिन दौर में भी भारतीय भाषाएँ प्रतिरोध की आवाज बनीं और आज़ादी के आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाने में भूमिका निभाईं। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने जनपदों की भाषाओं में, गाँव-देहात की भाषा में लोगों को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ा। हिंदी के साथ ही सभी भारतीय भाषाओं के कवियों, साहित्यकारों और नाटककारों ने लोकभाषाओं, लोककथाओं, लोकगीतों और लोकनाटकों के माध्यम से हर आयु, वर्ग और समाज के भीतर स्वाधीनता के संकल्प को प्रबल बनाया। वन्दे मातरम् और जय हिंद जैसे नारे हमारी भाषाई चेतना से ही चपजे और स्वतंत्र भारत के स्वाभिमान के प्रतीक बने।

जब देश आजाद हुआ, तब हमारे संविधान निर्माताओं ने भाषाओं की क्षमता और महत्ता को देखते हुए

इस पर विस्तार से विचार-विमर्श किया और 14 सितम्बर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया। संविधान के अनुच्छेद 351 में यह दायित्व सीपा गया कि हिंदी का प्रचार-प्रसार हो और यह भारत की सामासिक संस्कृति का प्रभावी माध्यम बने।

पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं और संस्कृति के पुनर्जागरण का एक स्वर्णिम कालखंड आया है। चाहे संयुक्त राष्ट्रसंघ का मंच हो, जी-20 का सम्मेलन या SCO में संबोधन, मोदी जी ने हिंदी और भारतीय भाषाओं में संवाद कर भारतीय भाषाओं का स्वाभिमान बढ़ाया है।

मोदी जी ने आजादी के अमृत काल में गुलामी के प्रतीकों से देश को मुक्त करने के जो पंच प्रण लिए थे, उसमें भाषाओं की बड़ी भूमिका है। हमें अपनी संवाद और आपसी संपर्क भाषा के रूप में भारतीय भाषा को अपनाना चाहिए, न कि किसी विदेशी भाषा को। तभी हम गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्त हो पाएंगे।

राजभाषा हिंदी ने 76 गौरवशाली वर्ष पूरे किए हैं। राजभाषा विभाग ने अपनी स्थापना के स्वर्णिम 50 वर्ष पूर्ण कर हिंदी को जनभाषा और जनचेतना की भाषा बनाने का अद्भुत कार्य किया है। 2014 के बाद से सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को निरंतर बढ़ावा दिया गया है। संसदीय राजभाषा समिति ने वर्ष 1978 में अपनी स्थापना से लेकर 2014 तक माननीय राष्ट्रपति महोदयों को प्रतिवेदन के 9 खंड प्रस्तुत किए थे, वहीं 2019 से अब तक 3 खंड प्रस्तुत किए जा चुके हैं। 13-14 नवम्बर 2021 को वाराणसी से प्रारंभ हुए अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों की परम्परा भी लगातार आगे बढ़ रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी राजभाषा विभाग ने उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। न्यूरेल मशीन ट्रांसलेशन पर आधारित 'कंठस्थ 2.0' में आज 5 करोड़ से अधिक वाक्यों का ग्लोबल डाटाबेस उपलब्ध है। 'लीला राजभाषा' और 'लीला प्रवाह' जैसे शिक्षण पैकेजों के माध्यम से 14 भारतीय भाषाओं में हिंदी सीखने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2022 में शुरू हुआ 'हिंदी सब सिंधु' अब तक लगभग 7 लाख शब्दों से समृद्ध हो चुका है।

2024 में हिंदी दिवस पर 'भारतीय भाषा अनुभाग' की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं को बीच सहज अनुवाद सुनिश्चित करना है। हमारा लक्ष्य यह है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएँ केवल संवाद का माध्यम न रहकर तकनीक, विज्ञान, न्याय, शिक्षा और प्रशासन की धुरी बनें। डिजिटल इंडिया, ई-गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इस युग में हम भारतीय भाषाओं को भविष्य के लिए सक्षम, प्रासंगिक और वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में भारत को अग्रणी बनाने वाली शक्ति के रूप में विकसित कर रहे हैं।

मित्रों, भाषा सावन की उस बूंद की तरह है, जो मन के दुःख और अवसाद को धोकर नई ऊर्जा और जीवन शक्ति देती है। बच्चों की कल्पना से गढ़ी गई अनोखी कहानियों से लेकर दादी-नानी की लोरियों और किस्सों तक, भारतीय भाषाओं ने हमेशा समाज को जिजीविषा और आत्मबल का मंत्र दिया है।

मिथिला के कवि विश्वापति जी ने ठीक ही कहा है:

"देसिल बयना सब जन मिट्टा।"

अर्थात् अपनी भाषा सबसे मजबूत होती है।

आइए, इस विंधी दिवस पर हम हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करने और उन्हें साथ लेकर आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी तथा विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लें।

आप सभी को एक बार फिर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

वंदे मातरम्।

नई दिल्ली

14 सितंबर, 2025

(अमित शाह)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश



प्रिय यूकोजन,
आप सभी को हिंदी दिवस - 2025 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ!

भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि वह जीवत चेतना है जो राष्ट्र की आत्मा को स्वर देती है। इसी चेतना की स्वर्णिम उपलब्धि के रूप में राजभाषा हिंदी हमारी संस्कृति, संस्कार और अस्मिता को आलोकित करते हुए जन-जन के हृदय को जोड़ने वाला वह सेतु बन चुका है, जिस पर भारत विकास के सोपानों को सहजता से पार कर रहा है। हिंदी ने अपनी परंपराओं को सँजोते हुए अन्य भाषाओं के रत्नों को आत्मसात कर एक बहुरंगी गंगा-जमुनी संस्कृति का निर्माण किया है।

संघ की राजभाषा नीति के प्रति यूको बैंक की प्रतिबद्धता एक सुदीर्घ साधना है, जो वर्ष 1974 से निरंतर हिंदी के अनुशासित अनुपालन में अभिव्यक्त हो रही है। भारत सरकार द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कारों से प्रतिवर्ष सम्मानित होना हमारी उसी निष्ठा का प्रमाण है। हमें गर्व है कि इस वर्ष हमारी हिंदी गृह पत्रिका "यूको अनुगूँज" को 'ग' श्रेणी की सर्वोत्कृष्ट पत्रिका के रूप में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार (द्वितीय) तथा नराकास (बैंक) कोलकाता को नराकास राजभाषा सम्मान (द्वितीय) से अलंकृत किया गया है। साथ ही, हमारे 8 नराकासों में से 6 नराकासों का उत्कृष्ट प्रदर्शन, यूको बैंक की सामूहिक भाषायी चेतना का दर्पण है। इन विजयी नराकासों के अध्यक्षों एवं सदस्य सचिवों को हार्दिक बधाई देता हूँ तथा इस उपलब्धि को समस्त यूकोजन को समर्पित करता हूँ, जिन्होंने हिंदी को केवल भाषा नहीं, कार्य संस्कृति का अभिन्न अंग बनाने में महती भूमिका निभाई है।

राजभाषा हिंदी केवल कार्य की भाषा नहीं, हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति है। यूको बैंक परिवार का प्रत्येक सदस्य इसके अनुपालन में पूर्ण समर्पण और तन्मयता से जुड़ा है। प्रेरणा, प्रोत्साहन और पुरस्कार के माध्यम से हम न केवल हिंदी को कार्यालयीन जीवन में सहज बना रहे हैं, बल्कि तकनीकी नवाचारों के साथ उसे आधुनिक कार्य संस्कृति में भी आत्मसात कर चुके हैं। हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर मेरी यह अपेक्षा है कि सभी कार्मिक हिंदी को केवल नियम नहीं, नियमित व्यवहार बनाएँ, क्योंकि हिंदी का सम्मान, राष्ट्र का सम्मान है।

हिंदी को जनमानस की भाषा बनाने के लिए हमें हठ-संकल्प होकर कार्य करना होगा। यह सिर्फ सरकारी कार्यालयों की भाषा नहीं बनें अपितु हमारे देश की आम जनता के लिए सरल, सुलभ और सुग्राही भाषा बनें। इसके लिए हमें न केवल हिंदी को अपनाना है, बल्कि अन्य भारतीय भाषाओं के प्रति भी सम्मान और जिज्ञासा बनाए रखनी होगी। जब हम भाषाएँ सीखते हैं, तो संस्कृति से संवाद, सभ्यता से साक्षात्कार और समाज से आत्मीयता स्वतः जुड़ जाती है। जब हम भाषाओं का सम्मान करते हैं, तो हम सबको का विस्तार करते हैं और यही शक्ति भारत को एकसूत्र में पिरोती है।

हिंदी दिवस-2025 के इस पावन अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि कार्यालय का प्रत्येक कार्य राजभाषा हिंदी में पूर्ण तन्मयता और निष्ठा के साथ संपन्न करें। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम का अक्षरशः अनुपालन हमारी भाषायी प्रतिबद्धता का प्रतीक बने। प्रतियोगिताओं के आयोजन के माध्यम से हम न केवल प्रतिभा को मंच देंगे, बल्कि राजभाषा हिंदी के प्रति उत्साह, प्रेरणा और सकारात्मकता का वातावरण भी निर्मित करेंगे। आइए, हम सब मिलकर इसे अपने कर्म की भाषा बनाएँ, हृदय से हिंदी अपनाएँ — यही सच्चा राष्ट्र सम्मान है।

(अश्वनी कुमार)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी



अंचल प्रबंधक का संदेश

प्रिय पाठकों,

अंचल कार्यालय, बेगूसराय की छमाही पत्रिका “यूको दीप” के इस अंक के साथ हम एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं — यह एक ऐसा मंच है जो बैंकिंग की दुनिया से जुड़ी गतिविधियों, विचारों और उपलब्धियों को साझा करने का माध्यम है। यह मेरा **प्रथम संबोधन** है, और हम इसे आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए गर्व का अनुभव कर रहे हैं।

इस अंक का प्रकाशन ऐसे समय में हो रहा है जब हम **हिंदी दिवस 2025** की समाप्ति के साथ हिंदी के गौरव और उसकी व्यापकता को पुनः स्मरण कर रहे हैं। हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, पहचान और अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। बैंकिंग क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग ग्राहकों से जुड़ने, सेवा को सरल बनाने और समावेशी वित्तीय प्रणाली को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बैंकिंग आज केवल लेन-देन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक विकास और डिजिटल समावेशन का आधार बन चुका है। डिजिटल बैंकिंग, वित्तीय साक्षरता, और सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में बैंक की भूमिका निरंतर विस्तृत हो रही है। हमारा प्रयास है कि हम तकनीकी नवाचारों के साथ-साथ मानवीय संवेदनाओं को भी प्राथमिकता दें।

इस पत्रिका में आपको बैंक की प्रमुख पहलों, कर्मचारियों की प्रेरणादायक कहानियाँ, हिंदी के प्रचार-प्रसार से जुड़ी गतिविधियाँ, और ग्राहकों के साथ जुड़ाव के विविध पहलुओं की जानकारी मिलेगी। यह अंक न केवल जानकारी का स्रोत है, बल्कि प्रेरणा और संवाद का माध्यम भी है।

हम अपने सभी पाठकों और सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हैं, जिनके सहयोग से यह प्रयास संभव हो पाया है। आइए, हम सब मिलकर बैंकिंग को जन-जन तक पहुँचाएँ और हिंदी को उसकी गरिमा के अनुरूप स्थान दिलाएँ।

यूको बैंक, अंचल कार्यालय, बेगूसराय की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ।

श्वेत प्रकाश कच्छप
उप महाप्रबंधक



प्रिय साथियो,

"यूको दीप" के इस अंक में हम न केवल अपनी उपलब्धियों का उत्सव मनाते हैं, बल्कि भविष्य की दिशा भी तय करते हैं। यूको बैंक की पहचान अब पारंपरिक बैंकिंग से आगे बढ़कर डिजिटल युग की ओर अग्रसर हो रही है। हमारी शाखाओं ने डिजिटल बैंकिंग को अपनाकर ग्राहकों को तेज़, सुरक्षित और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने में उल्लेखनीय प्रगति की है।

नवाचार और सुधार की दिशा में निरंतर प्रयास करते हुए, यूको बैंक, बेगूसराय अंचल ने प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावशाली और सरल बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नई योजनाओं का क्रियान्वयन, डिजिटल सेवाओं का विस्तार और ग्राहक सेवा में गुणवत्ता सुधार के उपायों ने हमें नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया है।

हमारा उद्देश्य केवल बैंकिंग नहीं, बल्कि विश्वास और सुविधा का अनुभव प्रदान करना है। अंचल की उपलब्धियाँ – जैसे समयबद्ध ऋण संवितरण, एमएसएमई प्रोत्साहन और वित्तीय समावेशन – इस बात का प्रमाण है कि हम अपने ग्राहकों के साथ एक मजबूत और पारदर्शी संबंध बना रहे हैं।

इस अंक में हम हिंदी की महत्ता को भी विशेष रूप से रेखांकित कर रहे हैं। हिंदी हमारी आत्मा की भाषा है – यह केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, एकता और पहचान का प्रतीक है। यूको बैंक में हम हिंदी को कार्य संस्कृति का अभिन्न हिस्सा मानते हैं और इसके प्रचार-प्रसार के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।

हिंदी में कार्य करना न केवल सरलता लाता है, बल्कि ग्राहकों से आत्मीयता भी जोड़ता है।

आइए, हम सब मिलकर **"यूको दीप"** को एक ऐसा मंच बनाएं जो हमारे नवाचार, समर्पण और सेवा भावना को उजागर करे।

आप सभी को शुभकामनाएं और धन्यवाद।

वेद प्रकाश
मुख्य प्रबंधक



संपादकीय

प्रिय पाठकगण,

हर्ष और गर्व के साथ हम यूको दीप के प्रथम छमाही संस्करण को प्रस्तुत कर रहे हैं। यह पत्रिका न केवल हमारे संगठन की गतिविधियों, उपलब्धियों और नवाचारों को उजागर करने का माध्यम है, बल्कि यह हमारे विचारों, अनुभवों और रचनात्मकता को साझा करने का एक सशक्त मंच के साथ-साथ हमारी मातृभाषा हिंदी के प्रति सम्मान और समर्पण का प्रतीक भी है।

आज के प्रतिस्पर्धात्मक और परिवर्तनशील बैंकिंग परिवेश में, सूचना का आदान-प्रदान और संवाद की संस्कृति अत्यंत आवश्यक हो गई है। **यूको दीप** इसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रही है – एक ऐसा प्रकाशस्तंभ बनने की दिशा में, जो ज्ञान, प्रेरणा और सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करे।

यूको दीप का यह अंक हिंदी दिवस को समर्पित करते हुए यह संदेश देता है कि भाषा के माध्यम से हम न केवल संवाद करते हैं, बल्कि एकजुटता, समझ और सहयोग को भी बढ़ावा देते हैं। यह पत्रिका हमारे कर्मचारियों की रचनात्मकता, विचारशीलता और संगठन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाने का एक सशक्त मंच है।

इस अंक में आपको बैंक की नवीन पहलों, प्रेरणादायक कहानियों, साहित्यिक रचनाओं और हिंदी के प्रति समर्पित प्रयासों की झलक मिलेगी। हम आशा करते हैं कि यह प्रयास न केवल जानकारी प्रदान करेगा, बल्कि हिंदी के प्रति आपके प्रेम और गर्व को भी और गहरा करेगा।

आपके सुझाव, रचनाएँ और सहभागिता इस पत्रिका को और भी समृद्ध बनाएँगे। आइए, हम सब मिलकर **यूको दीप** को एक ऐसा मंच बनाएं जो ज्ञान, संस्कृति और भाषा का दीप जलाए।

आपका सहयोग और सहभागिता सदैव अपेक्षित है।

सादर,

राम अभिषेक तिवारी
प्रबंधक-राजभाषा

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
(सदैव उर्जावान; निरंतर प्रयासरत)

राजभाषा प्रतिज्ञा

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 तथा राजभाषा संकल्प 1968 के आलोक में हम, केंद्र सरकार के कार्मिक यह प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने उदाहरणमय नेतृत्व और निरंतर निगरानी से; अपनी प्रतिबद्धता और प्रयासों से; प्रशिक्षण और प्राइज से अपने साथियों में राजभाषा प्रेम की ज्योति जलाये रखेंगे, उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे; अपने अधीनस्थ के हितों का ध्यान रखते हुए; अपने प्रबंधन को और अधिक कुशल और प्रभावशाली बनाते हुए राजभाषा – हिंदी का प्रयोग, प्रचार और प्रसार बढ़ाएंगे। हम राजभाषा के संवर्द्धन के प्रति सदैव उर्जावान और निरंतर प्रयासरत रहेंगे।

जय राजभाषा! जय हिंद!



गौतम कुमार
प्रबंधक
अंचल कार्यालय, बेगूसराय

बैंकिंग और स्वयं सहायता समूह

भारत जैसे विकासशील देश में आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन की दिशा में बैंकिंग प्रणाली और स्वयं सहायता समूहों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, ये दोनों माध्यम गरीब और वंचित वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध हुए हैं।

बैंकिंग की भूमिका

बैंकिंग प्रणाली का उद्देश्य केवल धन का लेन-देन नहीं, बल्कि आर्थिक विकास को गति देना भी है। ग्रामीण बैंकिंग, जनधन योजना, मुद्रा योजना, और डिजिटल बैंकिंग जैसे प्रयासों ने आम नागरिक को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ा है। इससे बचत की प्रवृत्ति बढ़ी है, ऋण की उपलब्धता आसान हुई है और आर्थिक गतिविधियों को बल मिला है।

एसएचजी की विशेषताएँ और लाभ

- **आर्थिक सशक्तिकरण:** एसएचजी के माध्यम से महिलाएँ छोटे व्यवसाय शुरू कर सकती हैं जैसे सिलाई, पापड़ बनाना, किराना दुकान आदि।
- **सामाजिक सुधार:** ये समूह घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, शराब जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ सामूहिक प्रयास करते हैं।
- **नेतृत्व विकास:** एसएचजी महिलाओं में नेतृत्व कौशल विकसित करता है और उन्हें ग्राम सभा व चुनावों में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है।
- **लखपति दीदी पहल:** यह पहल उन महिलाओं को पहचान देती है जिन्होंने एसएचजी के माध्यम से ₹1 लाख या उससे अधिक कीवार्षिक आय अर्जित की है।

एसएचजी और बैंकिंग का संबंध

बैंक एसएचजी को ऋण प्रदान करते हैं, जिससे वे अपने व्यवसायों को बढ़ा सकें। नाबार्ड और अन्य संस्थाएँ एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत इन समूहों को वित्तीय सहायता देती हैं। इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है।

एसएचजी—बैंक लिंकेज कार्यक्रम की विशेषताएँ

1. **शुरुआत:** यह कार्यक्रम 1992 में नाबार्ड द्वारा शुरू

किया गया था।

2. **बचत खाता:** एसएचजी को बैंक में बचत खाता खोलने की अनुमति होती है।
3. **ऋण सुविधा:** बैंक एसएचजी को सामूहिक रूप से ऋण प्रदान करते हैं, जिससे सदस्य अपनी आजीविका गतिविधियाँ चला सकें।

बैंक सखी: प्रशिक्षित एसएचजी सदस्य बैंकिंग कार्यों में समूह की सहायता करती हैं।

कार्यप्रणाली

1. **बचत और ऋण:** एसएचजी सदस्य नियमित रूप से बचत करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर समूह से ऋण लेते हैं।
2. **बैंक से जुड़ाव:** एसएचजी बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होते हैं, जिससे उनकी आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ती हैं।

प्रशिक्षण और सशक्तिकरण: नाबार्ड और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के तहत एसएचजी सदस्यों को वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता का प्रशिक्षण दिया जाता है।

चुनौतियाँ

कुछ एसएचजी में नेतृत्व की कमी और पारदर्शिता की समस्या होती है। बैंकिंग सेवाओं की पहुँच अभी भी कुछ दूरदराज़ क्षेत्रों में सीमित है। प्रशिक्षण और बाज़ार पहुँच की कमी से व्यवसायों का विस्तार बाधित होता है।

प्रभाव

- एसएचजी सदस्यों की आय में वृद्धि।
- घरेलू बचत में बढ़ोतरी।
- महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण।
- ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा।

निष्कर्ष

बैंकिंग और एसएचजी मिलकर ग्रामीण भारत में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन ला रहे हैं। यदि इनकी कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया जाए, तो ये देश के समग्र



अभिजित कुमार गिरि
वरिष्ठ प्रबंधक
मानव संसाधन प्रबंधन विभाग

बैंकिंग में मानव संसाधन प्रबंधन

बैंकिंग उद्योग एक सेवा और विश्वास आधारित क्षेत्र है जहाँ ग्राहक सेवा, वित्तीय जोखिम प्रबंधन और तकनीकी नवाचार की गुणवत्ता सीधे कर्मचारियों की दक्षता पर निर्भर करती है। इन सभी में मानव संसाधन प्रबंधन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए, मानव संसाधन प्रबंधन को बैंकिंग का मेरुदंड कहा जाता है।

मानव संसाधन प्रबंधन का महत्व:

बैंकिंग में मानव संसाधन प्रबंधन का उद्देश्य योग्य कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, विकास और संतुलित कार्य वातावरण प्रदान कर कर्मचारियों की क्षमता का अधिकतम उपयोग करना और उन्हें संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान देने के लिए प्रेरित करना है। यह विभाग सुनिश्चित करता है कि बैंक के कर्मचारी न केवल तकनीकी रूप से दक्ष हों, बल्कि ग्राहक सेवा में भी उत्कृष्टता प्रदर्शित करें।

बैंकिंग में मानव संसाधन प्रबंधन के प्रमुख कार्य

कर्मचारी भर्ती और चयन

- योग्य उम्मीदवारों की पहचान और चयन प्रक्रिया।
- बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार प्रोफाइल तय करना।

प्रशिक्षण और विकास

- नए कर्मचारियों को बैंकिंग प्रक्रियाओं की जानकारी देना।
- स्किल अपग्रेडेशन के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- बैंकिंग तकनीकों में निरंतर बदलाव हेतु प्रशिक्षण।

कार्यनिष्पादन मूल्यांकन

- कर्मचारियों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन।
- पदोन्नति और इन्सेंटिव से जुड़ी प्रक्रिया।

वेतन और लाभ प्रबंधन

- वेतन संरचना, बोनस, पेंशन, और अन्य लाभों का प्रबंधन।

कर्मचारी संबंध और कल्याण

- कर्मचारियों के बीच अच्छे संबंध बनाए रखना।
- कल्याणकारी योजना और स्वास्थ्य लाभ।

अनुशासन और शिकायत निवारण

- कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान।
- अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया।

नवाचार और डिजिटल एचआर

- एचआरएमएस (HRMS) जैसे डिजिटल टूल्स का उपयोग।
- डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से निर्णय लेना।

प्रेरणा और पुरस्कार:

कर्मचारियों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करना और उनके अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार देना, बैंक की उत्पादकता को बढ़ाता है।

चुनौतियाँ:

- तकनीकी बदलावों के साथ तालमेल बैठाना
- युवा और अनुभवी कर्मचारियों के बीच संतुलन
- कर्मचारी संतुष्टि और मनोबल बनाए रखना
- उच्च प्रतिस्पर्धा में कुशल जनशक्ति की कमी

समाधान:

- नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम
- पारदर्शी पदोन्नति और पुरस्कार प्रणाली
- कार्यस्थल पर सकारात्मक वातावरण
- डिजिटल मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली का उपयोग

निष्कर्ष:

बैंकिंग क्षेत्र में मानव संसाधन प्रबंधन केवल एक प्रशासनिक कार्य नहीं है, बल्कि यह संगठन की सफलता का आधार है। एक मजबूत मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली बैंक को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिला सकती है और ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान कर सकती है। इसलिए, बैंकिंग संस्थानों को अपने मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली को मजबूत और आधुनिक बनाना चाहिए।



रामधारी सिंह दिनकर (23 सितंबर 1908 - 24 अप्रैल 1974)

परिचय

रामधारी सिंह (23 सितंबर 1908 - 24 अप्रैल 1974), जिन्हें उनके कलम नाम दिनकर के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय हिंदी भाषा के कवि, निबंधकार, स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त और शिक्षाविद थे। भारतीय स्वतंत्रता से पहले के दिनों में लिखी गई उनकी राष्ट्रवादी कविता के परिणामस्वरूप वे एक विद्रोही कवि के रूप में उभरे। उनकी कविताओं में वीर रस झलकता था और उनकी प्रेरक देशभक्ति रचनाओं के कारण उन्हें राष्ट्रकवि ('राष्ट्रीय कवि') और युग-चरण (युग का चरण) के रूप में सम्मानित किया गया। वे हिंदी कवि सम्मेलन के नियमित कवि थे और हिंदी भाषियों के लिए उन्हें कविता प्रेमियों के लिए उतना ही लोकप्रिय और जुड़ा हुआ माना जाता है जितना रूसियों के लिए पुश्किन।

वे उस समय के प्रमुख राष्ट्रवादियों जैसे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, श्रीकृष्ण सिन्हा, रामबृक्ष बेनीपुरी और ब्रज किशोर प्रसाद के करीबी आधुनिक हिंदी के उल्लेखनीय कवियों में से एक, दिनकर का जन्म ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रेसीडेंसी के सिमरिया गाँव में हुआ था, जो अब बिहार राज्य के बेगूसराय जिले का हिस्सा है। सरकार ने उन्हें वर्ष 1959 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था और उन्हें तीन बार राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया था। इसी तरह, उनके राजनीतिक विचारों को महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स दोनों ने बहुत प्रभावित किया। दिनकर ने स्वतंत्रता-पूर्व काल में अपनी राष्ट्रवादी कविता के माध्यम से लोकप्रियता हासिल की।

दिनकर ने शुरुआत में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन बाद में वे गांधीवादी बन गए। हालाँकि, वे खुद को "बुरा गांधीवादी" भी कहते थे क्योंकि वे युवाओं में आक्रोश और बदले की भावना का समर्थन करते थे। कुरुक्षेत्र में, उन्होंने स्वीकार किया कि युद्ध विनाशकारी है, लेकिन तर्क दिया कि स्वतंत्रता की रक्षा के थे।

दिनकर तीन बार राज्यसभा के लिए चुने गए, और वे 3 अप्रैल 1952 से 2 अप्रैल 1964 तक इस सदन के सदस्य रहे और उन्हें 1959 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वे 1960 के दशक के आरंभ में भागलपुर विश्वविद्यालय (भागलपुर, बिहार) के कुलपति भी रहे।

कविता

रश्मि रंजन
सहायक प्रबंधक
बरियारपुर शाखा

सुप्रिया कुमारी
ग्राहक सेवा सहायक
कस्बा शाखा

सीख लो अपना काम खुद करना

रश्म कर लिए तुमने अपने काम
अपने माँ-बाप सहारे
अपने नखरे दिखा के,
अपने होमवर्क करवा के
अपनी चुटियां बनवा के
अपने कपड़े पहनवा के

पर अब सीख लो अपना काम खुद करना
अब बैठ जाओ अपने सपनों की नाव में
कोई नहीं आएगा खेवईया
सीख लो अपना नाव खुद खेवने

किस भँवर में कब फँसोगे
अब यह नहीं है ठिकाना
कोई नहीं आएगा बचाने
सीख लो अपना नाव खुद बचाने

जिंदगी किस मोड़ पर ले जाएगी
कब किसकी जरूरत पड़ जाएगी
पर कोई नहीं आएगा, उस भँवर से निकालने
सीख लो अपने आप को बचाने

माना की उमर हो चुकी है,
तो तेज नहीं, धीरे ही सही
पर चलाना सीख लो
कोई नहीं आएगा, मझधार से बचाने
सीख लो अपना काम खुद करने
कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने, तुम्हें बचाने !!

जिंदगी का दूसरा नाम 'इम्तिहान'

कहते हैं जिंदगी का दूसरा नाम इम्तिहान है।
परंतु क्यूँ हर इम्तिहान में कोई न कोई कुर्बान है ॥

अपनी इच्छाओं की बलि चढ़ाकर,
दूसरों की इच्छाओं का ध्यान रखना

अपने सारे गमों को भुलाकर,
दूसरों की मुस्कान का ध्यान रखना

वास्तव में, हर इम्तिहान में कोई न कोई कुर्बान है ॥

जिंदगी न मिलेगी दुबारा,
हंस के जी लो यारों

मौत भी आज तक कहाँ,
हुई किसी पर मेहरबान है।

जिंदगी सुख दुख का घूमता चक्र है
जो न समझा वो नादान है।
वास्तव में, हर इम्तिहान में कोई न कोई कुर्बान है ॥

यूको अभिनन्दन योजना

चिंताओं से निदान पाएं
व्यवसाय को आगे बढ़ाएं

ब्याज दर 8.55%

+ आकर्षक सुविधाओं से युक्त
+ शीघ्र एवं आसानी से ऋण स्वीकृत

अधिक जानकारी हेतु यूको बैंक की निकटतम शाखा में जाएं

1800-103-0523 (Toll Free) 0534000234 7999399400

विश्व पटल पर हिंदी : विश्व भाषा के रूप में

हिंदी, भारत की राजभाषा और विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक, न केवल सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बना रही है। आज जब वैश्वीकरण ने भाषाओं को एक-दूसरे के करीब ला दिया है, हिंदी ने भी विश्व मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।

हिंदी भारत की राजभाषा है। परन्तु अब हिंदी दिवस भारत में ही नहीं विश्व में भी हिंदी दिवस में मनाए जाते हैं। हिंदी भास्तीय सभ्यता/संस्कृति की भाषा है। भारत की स्वतंत्रता दीवान के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया था क्योंकि हिंदी पहले से ही भारत की सम्पर्क सम्प्रेषण की भाषा रही है। इसके बाद हिंदी देवनागरी लिपि में 14 सितम्बर 1949 को भारत संघ की राजभाषा भी बना दी गई (संविधान का अनु० 343)। अर्थात् सरकारी कामकाज की भाषा बन गई। लेकिन अब तो हिंदी विश्व भाषा बन रही है। हिंदी को विश्व में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा का सम्मान मिल रहा है। इसके परिप्रेक्ष्य में विश्व हिंदी सम्मेलनों ने हिंदी का गौरव और अधिक बढ़ाया है। ताकि हिंदी विश्वभर में प्रतिष्ठित हो।

संपूर्ण विश्व में हिंदी भाषा के बढ़ते प्रचार-प्रसार की वजह से सन् 1975 में नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। जिसमें हिंदी को विश्व भाषा बनाने का प्रयास पारित हुआ। आज हिंदी विश्व के बहुत से देशों में किसी न किसी वय में प्रचलित है। मॉरीशस, फीजी, त्रिनिदाद, सुगीनाम, गयाना जैसे देशों में हिंदी खूब प्रचारित है। खाड़ी देशों में भी हिंदी संपर्क भाषा है। भूमंडलीकरण/ उदारीकरण/ व्यावसायीकरण/ बाजारीकरण आदि के इस दौर में भी हिंदी का प्रचार- प्रसार बढ़ा है। विदेशी कंपनियों ने भी हिंदी के महत्व को समझा है। अब हिंदी को संयुक्त राष्ट्रसंघ की आधिकारिक भाषा बनाए जाने का प्रयास जारी है। हिंदी में भारत की आत्मा बसती है, सभ्यता/संस्कृति बसती है। इसका उद्भव प्राचीन भाषा संस्कृत से हुआ है। हिंदी संस्कृत से उद्भूत होकर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश होते हुए हिंदी बनी। 12वीं सदी में मुगलों के शासन में 'फारसी' के साथ हिंदी भी सहभाषा बनी। इसके बाद में हिंदी निरंतर विकास करती गई और विश्व पटल पर छा गई। 'मॉरीशस' में सन् 1926 में 'हिंदी प्रचारिणी सभा' की स्थापना तिलक विद्यालय के रूप में हुई। इसके बाद विश्व हिंदी सम्मेलनों ने हिंदी को विश्व भाषा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसमें विश्वभर के हिंदी विद्वान, साहित्यकार, भाषा विज्ञानी, विषय विशेषज्ञ एवं हिंदी प्रेमी शामिल होते हैं।

'विश्व हिंदी सम्मेलन' की संकल्पना 'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति', वर्धा द्वारा 1973 में की गई थी।

विश्व हिंदी सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है

1. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करना।
2. समय-समय पर हिंदी के विकास का आंकलन करना।
3. विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग/प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देना।
4. हिंदी के प्रति प्रवासी भारतीयों के रिश्तों को गहराई/मान्यता प्रदान करना।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि हिंदी को विश्व भाषा बनाने में विश्व हिंदी सम्मेलनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। अभी तक नौ विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं, जो निम्नलिखित है :

- प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, नागपुर 10 जनवरी 1975 से 14 जनवरी 1975
- द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन, पोर्टलुई मॉरीशस 28 अगस्त 1975 से 30 अगस्त 1976
- तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन, दिल्ली (भारत) 28 अक्टूबर 1983 से 30 अक्टूबर 1983
- चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन, मॉरीशस 2 दिसम्बर 1993 से 4 दिसम्बर 1993
- पांचवां विश्व हिंदी सम्मेलन, त्रिनिदाद और टोबेगो 4 अप्रैल 1996 से 8 अप्रैल 1996
- छठवां विश्व हिंदी सम्मेलन, लंदन 24 सितम्बर 1999 से 23 सितम्बर 1999
- सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन, सूरीनाम 5 जून 2003 से 9 जून 2003
- आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन, न्यूयार्क 13 जुलाई 2007 से 15 जुलाई 2007
- नवम् विश्व हिंदी सम्मेलन, जोहांसबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) 22 सितम्बर 2012 से 24 सितम्बर 2012
- दशम विश्व हिंदी सम्मेलन, भोपाल(भारत) 10-12 सितंबर, 2015
- ग्यारहवां विश्व हिंदी सम्मेलन, पोर्टलुई मॉरीशस 18-20 अगस्त, 2018
- बारहवां विश्व हिंदी सम्मेलन, नाडी फिजी 15-17 फरवरी, 2023

आलेख

इनके द्वारा हिंदी विश्व मंच पर आई। इसी क्रम में भारत सरकार ने प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने का भी निर्णय किया। जबकि हिंदी दिवस 14 सितम्बर को मनाया जाता है।

हिंदी विश्व भाषा के रूप में

विश्व भाषा के रूप में हिंदी समग्र भूमंडल की तीसरी भाषा है। मॉरीशस, फीजी, त्रिनिदाद, गुयाना आदि देशों में हिंदी का प्रयोग व्यापक है। यहां हिंदी को लोग अपनी संस्कृति का अंग मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी विश्व भाषा है। मॉरीशस हिंदी प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष श्री जयनारयण राम के शब्दों में 'हिंदी उपनिषद्, रामायण और गीता की बेटी बनकर आयी और उनकी धर्म एवं संस्कृति का अंग बनकर अभी भी जीवित है।' यहां सामाजिक, सांस्कृतिक तथा जनसंपर्क की भाषा हिंदी है। इसे मानक हिंदी कहते हैं। मॉरीशस में 1903 में 'हिन्दुस्तानी' एवं 'मॉरीशस आर्य पत्रिका' का प्रकाशन हुआ। फीजी में सन् 1923 में 'फीजी समाचार निकला। इसके बाद 'भारत पुत्र', 'बुद्धिवाणी, जाग्रति जयफीजी', 'सनातन संदेश' का प्रकाशन हुआ। जिन्होंने हिंदी के प्रचार-प्रसार को बढ़ाया एवं विश्व भाषा तक पहुंचाया।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी बंगलादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, कम्बोडिया आदि देशों में सामाजिक, सांस्कृतिक, जनसम्पर्क की प्रेरणा है। इसके अलावा अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, जापान, चेकोस्लोवाकिया आदि देशों में विदेशी भाषा के रूप में हिंदी के अध्ययन-अध्यापन का काम हो रहा है। आज हिंदी विश्व के कई देशों में पढ़ाई जाती है। लगभग 175 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। इनमें से 45 विश्वविद्यालय अमेरिका में हैं। जिनमें कैलिफोर्निया, शिकागो, टेक्सास, कोलंबिया प्रमुख हैं। हिंदी सामर्थ्यवान भाषा है, जिसकी जड़ें मजबूत हैं। इसलिए यह विश्वभर में किसी न किसी रूप में जीवित है। हिंदी आज सिर्फ भारत की राष्ट्रभाषा न रहकर विश्व की भाषा बन गई है। भूमंडलीकरण/उदारीकरण के दौर में भारत के बाहर भी कई देशों जैसे नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश, मॉरीशस, फीजी, त्रिनिदाद आदि में सभ्यता/संस्कृति को जोड़ने वाली भाषा बन गई है। 'विश्वगांव' की परिकल्पना में हिंदी सम्प्रेषण की दृष्टि से व्यापार व्यवसाय, वाणिज्य, सभ्यता, संस्कृति को जोड़ने वाली उपयोगी भाषा बन गई है। हिंदी की विश्व भाषा के रूप में व्यापकता बढ़ाने में दृश्य मीडिया एवं हिंदी फिल्मों का भी खासा योगदान है। विदेशों में बसे प्रवासी भारतीयों की संपर्क भाषा हिंदी है। हिंदी प्रचार-प्रसार में संचार माध्यमों की भूमिका भी कम नहीं है।

हिंदी को विश्व भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में हिंदी साहित्य के साहित्यकारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें प्रवासी

हिंदी साहित्यकार जैसे फीजी के समला प्रसाद मिश्र, मॉरीशस के अभिमन्यु अनन्त, सूरीनाम के ब्रजेन्द्र कुमार भगत, मुंशी रहमान खान आदि प्रमुख हैं।

यह माध्यम की भाषा, आडियो, वीडियो, दृश्य मीडिया, सिनेमा, समाचार रेडियो के साथ विश्वभाषा बन गई है क्योंकि हिंदी सर्वाधिक सहज, सरल, सुबोध, बोधगम्य, प्रवाहमयी भाषा है। इसके अलावा इसमें हर भाषा के शब्दों को ज्यों का त्यों आत्मसात करने की विलक्षण शक्ति है। इसीलिए इसमें ऊर्दू, फारसी, अरबी, संस्कृत, पालि, अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं के शब्द भी शामिल हैं। हिंदी का यही लचीलापन उसे विश्वभाषा में विकसित करता है। इसीलिए हिंदी की लोकप्रियता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हिंदी अपनी मनोवैज्ञानिक लिपि देवनागरी में विश्व स्तर पर विकास करती जा रही है। विश्व के लगभग चालीस से अधिक देश के लोग हिंदी समझते हैं। क्योंकि हिंदी की शब्द सम्पदा विशाल है। हिंदी शुरू से ही साधु, संतों, फकीरों, पर्यटकों एवं जन-सामान्य की सम्पर्क एवं सम्प्रेषण की भाषा रही है। इसीलिए हिंदी में असीमित साहित्य सृजन हुआ है। जो विश्व भर में पढ़ा जाता है। जाना जाता है।

हिंदी का डिजिटल और तकनीकी विस्तार:

इंटरनेट पर हिंदी: हिंदी कंटेंट की मांग तेजी से बढ़ रही है। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर हिंदी में सामग्री उपलब्ध है।

हिंदी में एआई और मशीन लर्निंग: हिंदी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में भी शामिल किया जा रहा है, जिससे हिंदी भाषी उपयोगकर्ताओं को तकनीकी सेवाएं सरलता से मिल सकें।

मोबाइल एप्स और सॉफ्टवेयर: हिंदी में टाइपिंग, अनुवाद और संवाद के लिए कई एप्स उपलब्ध हैं, जैसे Google Indic Keyboard, Microsoft Translator आदि।

आज विश्व के लगभग 70 करोड़ से अधिक लोग हिंदी जानते हैं। हिंदी की विश्व भाषा के रूप में व्यापकता बढ़ाने में दृश्य मीडिया एवं हिंदी फिल्मों का भी खासा योगदान है। विदेशों में बसे प्रवासी भारतीयों की संपर्क भाषा हिंदी है।

हिंदी प्रचार-प्रसार में संचार माध्यमों की भूमिका भी कम नहीं है। विश्व स्तर पर हिंदी महत्वपूर्ण भाषा है। श्री अटल बिहारी के शब्दों में.....

"गूंजी हिंदी विश्व में, स्वप्न हुआ साकार। राष्ट्रसंघ के संघ में हिंदी की जयकार ।।"

एटीएम जारी करनेवाली शीर्ष 5 शाखाएं

क्रम	शाखा का नाम	शाखा क्रमांक	जारी एटीएम की संख्या
1	कोचाधमन	1037	1398
2	रामपुर	1704	928
3	मानिकपुर	1661	906
4	बलिया	2785	903
5	औगान	1209	825

मोबाइल बैंकिंग पंजीकरण करनेवाली शीर्ष 5 शाखाएं

क्रम	शाखा का नाम	शाखा क्रमांक	पंजीकृत उपयोगकर्ता
1	औगान	1209	1366
2	रामपुर	1704	1071
3	मंसुरचक	1122	1031
4	कोचाधमन	1037	991
5	माहना	1562	871

पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई एवं एपीवाई हेतु सैच्युरेशन अभियान
1 जुलाई 2025 से 30 सितम्बर 2025
जीवन की सुरक्षा, परिवार की रक्षा और सेवानिवृत्ति की योजना



प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

- ✓ वार्षिक प्रीमियम मात्र ₹ 436/-
- ✓ ₹ 2 लाख का जीवन बीमा कवर
- ✓ आयु समूह 18 से 50 वर्ष

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

- ✓ वार्षिक प्रीमियम मात्र ₹ 20/-
- ✓ ₹ 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर
- ✓ आयु समूह 18 से 70 वर्ष

अटल पेंशन योजना

- ✓ ₹ 5000/- तक पेंशन
- ✓ प्रवेश आयु के आधार पर प्रीमियम
- ✓ आयु समूह 18 से 40 वर्ष

अधिक जानकारी के लिए यूको बैंक की निकटतम शाखा पर जाएँ

1800 8910 (Toll Free) 8334001234 7666399400 Follow us on 

दीजिये अपने घर को सौर ऊर्जा और मुफ्त बिजली का उपहार
प्रधानमंत्री - सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना
मे जुड़िये
यूको सूर्योदय ऋण योजना


pmsuryaghar.gov.in
पर सर्चेंगे या QR कोड स्कैन कर रजिस्टर करें

1800-103-0123 (Toll Free) 833-4001234 7666399400 Follow us 



अमन कुमार
वरिष्ठ प्रबंधक
वसूली विभाग

साइबर आतंकवाद

साइबर आतंकवाद एक ऐसा अपराध है जिसमें आतंकवादी समूह या व्यक्ति इंटरनेट और डिजिटल नेटवर्क का उपयोग करके किसी देश, संस्था या व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसका उद्देश्य भय फैलाना, बुनियादी ढांचे को बाधित करना और राजनीतिक या वैचारिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाना होता है।

इक्कीसवीं सदी में, जब दुनिया तेज़ी से डिजिटल हो रही है, यह एक नया और अधिक खतरनाक खतरा हमारे समाज के ताने-बाने को चुनौती दे रहा है। यह सिर्फ हैकिंग या डेटा चोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी विनाशकारी शक्ति है जो भौतिक दुनिया में बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचा सकती है, अर्थव्यवस्थाओं को पंगु बना सकती है और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। इंटरनेट, जो ज्ञान और संपर्क का एक शक्तिशाली उपकरण है, अब चरमपंथी समूहों और दुर्भावनापूर्ण राष्ट्र-राज्यों के लिए एक नया युद्धक्षेत्र बन गया है।

I. साइबर आतंकवाद को समझना

क) परिभाषा और अवधारणा

साइबर आतंकवाद को समझना महत्वपूर्ण है। सरल शब्दों में, यह **कंप्यूटर नेटवर्क, सिस्टम और डिजिटल बुनियादी ढांचे के खिलाफ किया गया पूर्व-नियोजित, राजनीतिक रूप से प्रेरित हमला** है जिसका उद्देश्य डर पैदा करना, जबरदस्ती करना या सरकार या नागरिक आबादी पर सामाजिक-आर्थिक अराजकता उत्पन्न करना है।

प्रमुख तत्व:

- साइबर स्पेस का उपयोग:** हमला डिजिटल माध्यमों (इंटरनेट, नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम) के माध्यम से किया जाता है।
- राजनीतिक/वैचारिक प्रेरणा:** इसका अंतिम लक्ष्य व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि एक व्यापक राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक एजेंडे को आगे बढ़ाना है।
- भीषण परिणाम:** हमले का उद्देश्य केवल डेटा भंग करना नहीं है, बल्कि वास्तविक दुनिया में जीवन को खतरे में डालना, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को अक्षम करना, या बड़े पैमाने पर वित्तीय नुकसान पहुंचाना है।

साइबर आतंकवाद को अक्सर सामान्य **साइबर अपराध** (वित्तीय लाभ के लिए) और **साइबर जासूसी** (सूचना चोरी के लिए) से अलग किया जाता है, क्योंकि इसका मुख्य हथियार **डर** और मुख्य लक्ष्य **अराजकता** होता है।

ख) आतंकवाद का नया आयाम

पारंपरिक आतंकवाद, जैसे कि बमबारी या अपहरण, की एक भौतिक उपस्थिति होती है। साइबर आतंकवाद इसे बदलकर एक **अदृश्य, सीमाहीन खतरा** पैदा करता है।

- अनामता (Anonymity):** हमलावर अक्सर अपनी पहचान और स्थान को एन्क्रिप्शन और प्रॉक्सी नेटवर्क के ज़रिए छिपा सकते हैं, जिससे उनका पता लगाना और उन्हें पकड़ना लगभग असंभव हो जाता है।
- दूरी का अभाव:** एक आतंकी समूह दुनिया के किसी भी कोने से, बिना किसी भौतिक बाधा के, दूसरे देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमला कर सकता है।

उच्च प्रभाव, कम जोखिम: हमलावर को जोखिम कम उठाना पड़ता है, जबकि संभावित क्षति पारंपरिक हमलों की तुलना में कई गुना अधिक हो सकती है।

II. कार्यप्रणाली और हमले के तरीके

साइबर आतंकवादी विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं, जिनमें से कई परिष्कृत और जटिल होते हैं। उनका मुख्य लक्ष्य **महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचा (Critical Information Infrastructure - CII)** होता है, जिसमें बिजली ग्रिड, वित्तीय बाज़ार, अस्पताल, जल शोधन संयंत्र, और परिवहन नेटवर्क शामिल हैं।

क) हमलावर तकनीकें

- सेवा से इनकार (Distributed Denial of Service - DDoS) हमले:** यह सबसे सामान्य तरीका है। इसमें हमलावर बड़ी संख्या में नकली अनुरोध भेजकर किसी वेबसाइट या सर्वर को ओवरलोड कर देते हैं, जिससे वह वैध उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध हो जाता है।
- एक बैंक या सरकारी वेबसाइट को क्रैश करके बड़े पैमाने पर सार्वजनिक भय और अविश्वास पैदा किया जा सकता है।**

आलेख

○ **रैसमवेयर:** सिस्टम को एन्क्रिप्ट करके या लॉक करके फिरौती की मांग करना। यदि यह किसी अस्पताल या यातायात नियंत्रण प्रणाली पर लागू हो जाए, तो जानमाल का नुकसान हो सकता है।

○ **ट्रोजन और वायरस:** गुप्त रूप से सिस्टम में प्रवेश करना और महत्वपूर्ण डेटा को नष्ट करना या नेटवर्क को दूर से नियंत्रित करना।

○ **स्कूटनी और ज़ीरो-डे एक्सप्लॉइट्स (Scrutiny and Zero-Day Exploits):** हमलावर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अज्ञात कमज़ोरियों (Zero-Day Vulnerabilities) का पता लगाते हैं और उनका फायदा उठाकर सिस्टम में सेंध लगाते हैं, इससे पहले कि विक्रेता कोई पैच जारी कर पाए। यह सबसे खतरनाक तरीका है।

स्केडा (SCADA) सिस्टम में घुसपैठ: सुपरवाइज़री कंट्रोल एंड डेटा एक्जिजिशन (SCADA) सिस्टम बड़े औद्योगिक नियंत्रण प्रणालियों (जैसे बिजली उत्पादन संयंत्र, तेल रिफ़ाइनरी) को संचालित करते हैं। इन प्रणालियों में घुसपैठ करके भौतिक क्षति, विस्फोट, या बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट किए जा सकते हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर किया गया **स्टक्सनेट (Stuxnet)** हमला इसका एक ऐतिहासिक उदाहरण है।

ख) प्रचार और भर्ती

साइबर स्पेस का उपयोग केवल हमले के लिए नहीं, बल्कि **विचारधारा फैलाने, प्रचार करने और नए सदस्यों की भर्ती** के लिए भी किया जाता है।

● **सोशल मीडिया का दुरुपयोग:** आतंकवादी समूह एन्क्रिप्टेड चैट ऐप्स और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके अपनी क्रूरता का प्रचार करते हैं, सहानुभूति बटोरते हैं और दूर बैठे लोगों को हिंसा के लिए प्रेरित करते हैं।

डार्क वेब (Dark Web): इसका उपयोग सुरक्षित संचार, हमले की योजना बनाने और अवैध सॉफ्टवेयर या सेवाओं के आदान-प्रदान के लिए किया जाता है।

III. वैश्विक प्रभाव और खतरे

साइबर आतंकवाद के परिणाम दूरगामी और विनाशकारी हो सकते हैं, जो किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं।

क) महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर खतरा

सबसे बड़ा खतरा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के ध्वस्त होने से है:

● **ऊर्जा और परिवहन:** बिजली ग्रिड ठप होने से शहरों में अराजकता फैल सकती है। हवाई यातायात नियंत्रण या रेलवे प्रणालियों में विफलता से दुर्घटनाएं और बड़े पैमाने पर परिवहन व्यवधान हो सकते हैं।

● **स्वास्थ्य सेवा:** अस्पताल के रिकॉर्ड और चिकित्सा उपकरणों पर हमले से मरीजों का इलाज बाधित हो सकता है, जिससे जीवन का नुकसान हो सकता है।

वित्तीय प्रणाली: स्टॉक एक्सचेंज, बैंक और भुगतान प्रणालियों में सेंध लगाने से आर्थिक बाज़ार ठप हो सकते हैं और राष्ट्रों में वित्तीय संकट पैदा हो सकता है।

ख) सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव

साइबर आतंकवाद का उद्देश्य केवल भौतिक क्षति पहुंचाना नहीं है, बल्कि **जनता के विश्वास को तोड़ना** है।

● **भय और अविश्वास:** जब नागरिक पाते हैं कि सरकार उनके डेटा या महत्वपूर्ण सेवाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती है, तो सार्वजनिक संस्थानों में गहरा अविश्वास पैदा होता है।

सूचना युद्ध (Information Warfare): साइबर हमले का उपयोग **फर्जी खबरें** फैलाने और सामाजिक विभाजन को गहरा करने के लिए भी किया जाता है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है।

ग) अंतर्राष्ट्रीय संबंध और संघर्ष

साइबर हमले राष्ट्र-राज्यों के बीच तनाव को बढ़ा सकते हैं। किसी हमले के स्रोत का पता लगाना अक्सर कठिन होता है, जिससे एक देश दूसरे देश पर "झूठा आरोप" लगा सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष या **साइबर युद्ध (Cyber Warfare)** का खतरा बढ़ जाता है। साइबर आतंकवाद अब संघर्ष का एक प्रोक्सी रूप बन गया है।

IV. साइबर आतंकवाद से निपटने की रणनीतियाँ

साइबर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक बहु-आयामी, सहयोगात्मक और सतत दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें तकनीकी, कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय पहलें शामिल हों।

क) तकनीकी सुदृढीकरण

1. **महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा:** CII को सर्वोच्च प्राथमिकता पर संरक्षित किया जाना चाहिए। इसमें SCADA और औद्योगिक नियंत्रण प्रणालियों के लिए **नेटवर्क सेगमेंटेशन, बहु-कारक प्रमाणीकरण (Multi-Factor Authentication), और लगातार निगरानी (Continuous Monitoring)** शामिल है।

2. **साइबर रेजिलिएंस (Cyber Resilience):** केवल हमलों को रोकने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, संगठनों को **हमले को सहने और उससे तेज़ी से उबरने** की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इसमें नियमित रूप से डेटा बैकअप लेना, आपदा रिकवरी योजनाएँ बनाना, और ऑफ़लाइन आपातकालीन संचालन क्षमताएँ विकसित करना शामिल है।

आलेख

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग: AI का उपयोग करके बड़ी मात्रा में नेटवर्क डेटा का विश्लेषण किया जा सकता है ताकि दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को उनके शुरुआती चरणों में ही पहचाना जा सके, इससे पहले कि वे हमले का रूप ले लें।

ख) कानूनी और नियामक ढाँचा

1. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** साइबर हमलों का सीमा पार से होना आम है। इसलिए, देशों को **अंतर्राष्ट्रीय संधि** और **कानूनी तंत्र** विकसित करने चाहिए ताकि हमलावरों का तेज़ी से प्रत्यर्पण किया जा सके और उन्हें दंडित किया जा सके। **बुडापेस्ट कन्वेंशन** जैसे समझौतों को व्यापक रूप से अपनाना महत्वपूर्ण है।

2. **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति:** सरकारों को एक व्यापक **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति** बनानी चाहिए जो निजी क्षेत्र, शिक्षाविदों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग को अनिवार्य करे। भारत में **CERT-In** (कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉंस टीम) जैसी एजेंसियों को और सशक्त बनाना ज़रूरी है।

3. **डेटा संरक्षण कानून:** कड़े डेटा संरक्षण कानून लागू करना, जो संगठनों को ज़िम्मेदार ठहराएँ और नागरिकों के निजी डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करें, जिससे हमलावरों के लिए लाभ कम हो।

ग) क्षमता निर्माण और जागरूकता

1. **मानव पूंजी का विकास:** दुनिया भर में साइबर सुरक्षा पेशेवरों की भारी कमी है। सरकारों और उद्योगों को **साइबर सुरक्षा शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों** में भारी निवेश करना चाहिए ताकि उच्च-कुशल विशेषज्ञों की एक नई पीढ़ी तैयार हो सके।

2. **सार्वजनिक जागरूकता:** साइबर आतंकवाद का एक बड़ा हिस्सा **फ़िशिंग** और **सोशल इंजीनियरिंग** जैसे मानवीय कमज़ोरियों का फायदा उठाता है। कर्मचारियों और आम जनता को सुरक्षित ऑनलाइन आदतों (मज़बूत पासवर्ड, संदिग्ध ईमेल से बचना) के बारे में शिक्षित करना एक महत्वपूर्ण रक्षा पंक्ति है।

गठबंधन और सूचना साझाकरण: निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच **सूचना साझाकरण और सहयोग** अनिवार्य है। कंपनियाँ, जो अक्सर हमलों का पहला निशाना होती हैं, उन्हें सरकार के साथ खतरों की खुफिया जानकारी साझा करनी चाहिए ताकि सामूहिक रक्षा की जा सके।

व. नैतिक और भविष्य की चुनौतियाँ

साइबर आतंकवाद के खिलाफ़ लड़ाई कुछ जटिल नैतिक और तकनीकी चुनौतियाँ भी पेश करती है।

क) गोपनीयता बनाम सुरक्षा

साइबर हमलों से बचाव के लिए सरकारों को अक्सर नागरिकों के संचार और डेटा की निगरानी करने की आवश्यकता होती है। यह **गोपनीयता के अधिकार** और **राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता** के बीच एक नाजुक संतुलन बनाता है। निगरानी को वैध और आनुपातिक बनाए रखने के लिए सख्त कानूनी निरीक्षण की आवश्यकता है।

ख) हमले का पता लगाना (Attribution)

किसी साइबर हमले के स्रोत का सटीक पता लगाना (Attribution) अक्सर सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसका कारण यह है कि हमलावर अक्सर जटिल प्रॉक्सी सर्वरों की एक श्रृंखला का उपयोग करते हैं या किसी और पर झूठा आरोप लगाने के लिए उपकरणों को 'फ़्लैग' करते हैं। अपर्याप्त एट्रिब्यूशन प्रतिशोधी कार्रवाई (Retaliatory Action) को जटिल बना सकता है और अंतर्राष्ट्रीय संकट पैदा कर सकता है।

ग) क्वांटम कंप्यूटिंग और AI का उदय

भविष्य में, **क्वांटम कंप्यूटिंग** वर्तमान एन्क्रिप्शन विधियों को मिनटों में तोड़ सकती है, जिससे पूरी डिजिटल दुनिया असुरक्षित हो जाएगी। इसके अलावा, दुर्भावनापूर्ण अभिनेताओं द्वारा AI का उपयोग अधिक परिष्कृत, स्वचालित और बड़े पैमाने पर हमले करने के लिए किया जा सकता है। इन उभरते खतरों से निपटने के लिए **क्वांटम-प्रतिरोधी क्रिप्टोग्राफी** और **नैतिक AI सुरक्षा मानकों** पर शोध करना अनिवार्य है।

निष्कर्ष

साइबर आतंकवाद इक्कीसवीं सदी का एक ऐसा दुश्मन है जो अदृश्य, सर्वव्यापी और विनाशकारी है। यह किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता, अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के लिए एक मौलिक खतरा प्रस्तुत करता है। इस खतरे का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए, हमें केवल तकनीकी समाधानों से आगे बढ़ना होगा।

उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्व), कोलकाता का राजभाषायी निरीक्षण दौरा





ओम प्रकाश नारायण
वरिष्ठ प्रबंधक(सुरक्षा)
अंचल कार्यालय, बेगूसराय

भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों की भूमिका

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए सहकारी समितियाँ एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरी हैं। सहकारिता का मूल उद्देश्य है – "एक के लिए सभी और सभी के लिए एक"। यह सिद्धांत भारतीय समाज की सामूहिकता और सहयोग की भावना को दर्शाता है।

सहकारी समितियों की उत्पत्ति और विकास

- **इतिहास:** भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत 1904 में "सहकारी ऋण समिति अधिनियम" के साथ हुई थी। इसका उद्देश्य किसानों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराना और सस्ते ऋण उपलब्ध कराना था।
- **संवैधानिक प्रावधान:** संविधान के 97वें संशोधन द्वारा सहकारिता को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियों के प्रचार का उल्लेख है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान

1. कृषि क्षेत्र में योगदान

प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक और उपकरण उपलब्ध कराती हैं। सहकारी बैंक किसानों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण प्रदान करते हैं। भूमि विकास बैंक भूमि सुधार और सिंचाई परियोजनाओं में सहायक हैं।

2. ग्रामीण विकास

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने में सहकारी समितियाँ सहायक हैं। डेयरी, मत्स्य पालन, हथकरघा, और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में सहकारी समितियाँ स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देती हैं।

3. वित्तीय समावेशन

सहकारी बैंक और क्रेडिट सोसायटीज़ उन लोगों तक बैंकिंग सेवाएँ पहुँचाती हैं जो पारंपरिक बैंकिंग से वंचित हैं। ये संस्थाएँ बचत की आदत को प्रोत्साहित करती हैं और छोटे व्यापारियों को ऋण प्रदान करती हैं।

4. औद्योगिक क्षेत्र में योगदान

चीनी मिल, वस्त्र उद्योग, जूट और तेल मिल जैसे उद्योगों में सहकारी समितियाँ कच्चे माल की आपूर्ति और उत्पादन में सहायक हैं।

चुनौतियाँ

- प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी
- राजनीतिक हस्तक्षेप
- तकनीकी दक्षता की कमी
- वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता

सरकारी प्रयास और नीतियाँ

- **राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025:** सहकारी समितियों को प्रोफेशनल और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में यह नीति एक महत्वपूर्ण कदम है।
- **सहकार से समृद्धि** अभियान: इसका उद्देश्य सहकारी समितियों के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देना है।

निष्कर्ष

सहकारी समितियाँ भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। ये न केवल आर्थिक विकास को गति देती हैं बल्कि सामाजिक न्याय और समरसता को भी बढ़ावा देती हैं। यदि इनकी चुनौतियों को दूर किया जाए और आधुनिक तकनीक व प्रबंधन से सुसज्जित किया जाए, तो ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।



हरिमोहन मीणा
वरिष्ठ प्रबंधक
अंचल कार्यालय, बेगूसराय

जयपुर से नैनीताल: एक रंगीन शहर से शांत झीलों तक की यात्रा

गर्मियों की छुट्टियों में जब राजस्थान की गर्मी अपने चरम पर थी, तब हमने ठंडी और शांत वादियों की ओर रुख करने का निर्णय लिया। इस बार हमारा गंतव्य था — नैनीताल, उत्तराखंड का एक सुंदर हिल स्टेशन। यह यात्रा न केवल भौगोलिक दूरी की थी, बल्कि आत्मिक शांति और पारिवारिक जुड़ाव के अनुभव के साथ ही एक सांस्कृतिक और भावनात्मक अनुभव भी बन गई। उत्तराखंड की सुरम्य वादियों में बसा नैनीताल एक ऐसा स्थल है, जहाँ प्रकृति अपनी पूरी सुंदरता के साथ मुस्कुराती है। मेरी यह यात्रा एक आत्मिक सुकून और रोमांच से भरपूर अनुभव रही, जिसे शब्दों में पिरोना एक सुखद कार्य है।

यात्रा की शुरुआत: जयपुर से काठगोदाम तक

नैनीताल की यात्रा की योजना हमने कई दिनों पहले बनाई थी। जैसे-जैसे यात्रा की तारीख नज़दीक आती गई, उत्साह और उमंग बढ़ती गई। हमने जयपुर से रात की ट्रेन पकड़ी जो हमें काठगोदाम तक ले गई। ट्रेन का सफर आरामदायक था और सुबह-सुबह जब हम काठगोदाम पहुँचे, तो वहाँ की ठंडी हवा ने स्वागत किया। वहाँ से हमने टैक्सी ली और पहाड़ी रास्तों पर चढ़ते हुए नैनीताल की ओर बढ़े। रास्ते में हरियाली से ढके पहाड़, घाटियाँ और बहती नदियाँ मन को मोह रही थीं। हर मोड़ पर प्रकृति का नया रूप देखने को मिल रहा था। जैसे-जैसे पहाड़ों की ओर बढ़ते गए, रास्ते में घने जंगल, घुमावदार सड़कें और ठंडी हवा ने मन को तरोताजा कर दिया। रास्ते में जगह-जगह छोटे-छोटे झरने और चाय की दुकानें थीं, जहाँ रुककर हमने पहाड़ी चाय का स्वाद लिया।



पहला दिन: नैनी झील और मॉल रोड

नैनीताल पहुँचते ही सबसे पहले हमने होटल में चेक-इन किया और थोड़ी देर विश्राम किया। फिर हम निकल पड़े नैनी झील की ओर। झील का शांत पानी, उसमें तैरती रंग-बिरंगी नावें और चारों ओर पहाड़ों की हरियाली — यह दृश्य किसी चित्र की तरह सुंदर था। हमने झील में नौकायन किया — झील के बीचों बीच जाकर कुछ देर ठहरना जैसे समय को रोक देना था। पानी की सतह पर सूरज की किरणें चमक रही थीं और ठंडी हवा मन को सुकून दे रही थी।

मॉल रोड की शाम

शाम को मॉल रोड पर टहलना और वहाँ की दुकानों से ऊनी कपड़े, हस्तशिल्प और स्मृति चिन्ह खरीदना बहुत आनंददायक रहा। वहाँ की हलचल, दुकानों की रौनक तथा पहाड़ी गरम चाय, मोमोज़ और भुट्टे का स्वाद आज भी याद है। सब कुछ नया और

आनंददायक था। वहाँ के स्थानीय लोग बेहद विनम्र और सहयोगी थे, जिनसे बातचीत कर वहाँ की संस्कृति को करीब से जानने का अवसर मिला।

दूसरा दिन: नैना देवी मंदिर, स्नो व्यू पॉइंट और रोपवे

झील के किनारे स्थित नैना देवी मंदिर में सुबह-सुबह दर्शन करना एक आध्यात्मिक अनुभव था। यह एक शक्ति पीठ है, जहाँ देवी सती के नेत्र गिरे थे — इसी कारण इसे "नैना देवी" कहा जाता है। मंदिर में देवी के दो नेत्रों की मूर्ति है, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। इस मंदिर का शांत वातावरण और झील के किनारे स्थित होना इसे और भी विशेष बनाता है। वहाँ की ऊर्जा ने मन को गहराई से छू लिया। यह मंदिर नैनीताल की धार्मिक पहचान भी है।

इसके बाद हमने **सो व्यू पॉइंट** का भ्रमण किया। यह नैनीताल का एक प्रसिद्ध व्यू पॉइंट है जहाँ से **हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियाँ** देखना एक अद्भुत अनुभव था — जैसे प्रकृति ने सफेद चादर ओढ़ रखी हो। यहाँ से **नंदा देवी, त्रिशूल, और नंदा कोट** जैसी पर्वत चोटियाँ देखी जा सकती हैं। वहाँ पहुँचने के लिए हमने रोपवे का सहारा लिया। ऊपर से हिमालय की बर्फीली चोटियाँ वहाँ की ठंडी हवा और दूर-दूर तक फैले पहाड़ों का दृश्य ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया।

तीसरा दिन: टिफिन टॉप, चिड़ियाघर और लोकल संस्कृति

तीसरे दिन सुबह-सुबह हमने टिफिन टॉप की टेकिंग की। यह एक छोटा लेकिन रोमांचक ट्रेक था, रास्ते में आड़ू, सेब और नाशपाती के पेड़ मिले। जहाँ से नैनीताल का विहंगम दृश्य देखने को मिला। इसके बाद हमने चिड़ियाघर का भ्रमण किया जहाँ हिमालयी जानवरों और पक्षियों को देखने का अवसर मिला। शाम को हमने लोकल बाजार से कुछ हस्तशिल्प और ऊनी वस्त्र खरीदे। वहाँ के लोग बहुत मिलनसार और मददगार थे।

अंतिम दिन: झील के किनारे की रात

यात्रा के अंतिम दिन हमने झील के किनारे बैठकर रात का आनंद लिया। झील में पड़ती रोशनी, ठंडी हवा और शांत वातावरण — यह सब कुछ आत्मा को छू लेने वाला था। ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। नैनीताल की रातें ठंडी, शांत और बेहद खूबसूरत थीं। रात को बोनफायर का आनंद लिया। जयपुर में जहाँ तापमान 45°C था, वहीं यहाँ हम आग के पास बैठकर गर्माहट का आनंद ले रहे थे। आसपास के जंगलों से आती आवाजें — कीड़ों की सरसराहट, दूर से आती जानवरों की हल्की गूँज — मानो प्रकृति का संगीत बज रहा हो।

यात्रा के अंतिम में हमने थकान के बावजूद मन में एक नई ऊर्जा और कई यादें लेकर वापसी की। नैनीताल की यह यात्रा हमेशा दिल के करीब रहेगी।

यात्रा का सार

जयपुर की गर्मी से निकलकर नैनीताल की ठंडी वादियों में बिताया गया यह समय मेरे जीवन की सबसे सुंदर यादों में से एक बन गया। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और पहाड़ी संस्कृति ने मन को गहराई से छू लिया। यह यात्रा न केवल एक स्थान की खोज थी, बल्कि आत्मिक शांति, प्रकृति से जुड़ाव और परिवार के साथ बिताए गए अनमोल पलों की कहानी भी थी। यह यात्रा एक यादगार अनुभव रही।

आशीष कुमार
कार्मिक सं. - 67251
प्रबंधक, मुंगेर शाखा

कलम

जब उठा कलम मशाल सा
लकीर अंधेरे में खींच दिया।
बस मोम दफन था सीने में,
उसे अंगारों से सींच दिया।

जो टीस उठी थी सीने में,
नासूड़ सी उस तन्हाई का।
मेरे लब्ज बन गए हैं मिट्टी,
इलाज इस दिल के खाई का।

था पीर सभी से बाँट रहा,
उसे बाहों में अपने घेर लिया।
छोटा जख्म नासूड़ बन गया,
मैंने सबसे मुंह फेर लिया।

हैं कलम बन गए यार मेरे,
क्या उम्दा हमारी यारी है।
हयात मैदान -ए- जंग बन गया,
अब तो फतह की तैयारी है।

प्रश्नोत्तरी

- प्रश्न** क्या एटीएम से पैसा निकालने के लिए किसी अंजान व्यक्ति की सहायता लेनी चाहिए?
- उत्तर** जी नहीं। यदि आपने एटीएम कार्ड अंजान व्यक्ति को दिया तो वह आपका एटीएम कार्ड धोखे से अपने पास रख लेगा। उसके बाद आपके एटीएम कार्ड और एटीएम पिन का प्रयोग करके आपके बैंक खाते से पैसा निकाल लेगा।
- प्रश्न** क्या एटीएम पिन, यूपीआई पिन, पासवर्ड, ओटीपी, नंबर, एक्सपायरी तिथि, सीवीवी को फोन पर साझा करना चाहिए?
- उत्तर** जी नहीं। यदि आपने साझा किया तो साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं।
- प्रश्न** क्या अंजान लिंक पर क्लिक करना चाहिए?
- उत्तर** जी नहीं। अंजान लिंक पर क्लिक न करें।
- प्रश्न** क्या APK (एपीके) फ़ाइल को डाउनलोड एवं इंस्टॉल करना चाहिए?
- उत्तर** जी नहीं। मैसेज/ईमेल/व्हाट्सएप/टेलीग्राम/लिंक इत्यादि से प्राप्त APK(एपीके) फाइल को डाउनलोड एवं इंस्टॉल न करें अन्यथा आपका मोबाइल फोन हैक हो सकता है। हमेशा अधिकृत प्ले स्टोर /ऐप स्टोर से ही ऐप्स इंस्टॉल करें।
- प्रश्न** क्या अपने मोबाइल फोन में एनीडेस्क अथवा टीम व्यूअर क्लिक सपोर्ट ऐप इंस्टॉल करना चाहिए?
- उत्तर** जी नहीं। यदि आपने उपरोक्त विवरण साझा किया तो आपके साथ साइबर धोखाधड़ी हो सकती है।
- प्रश्न** क्या किसी अंजान व्हाट्सएप अथवा टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहिए?
- उत्तर** जी नहीं। अगर आप ऐसे ग्रुप में जुड़ेंगे तो आपके साथ साइबर धोखाधड़ी हो सकती है।

आज की साइबर सुरक्षा युक्ति

बॉस प्रतिरूपण घोटाले की चेतावनी !

→ अपने बॉस या वरिष्ठ अधिकारी होने का दावा करने वाले अज्ञात व्हाट्सएप संदेशों पर कार्रवाई न करें।

→ प्रोफ़ाइल फोटो पर भरोसा न करें।

→ कभी भी कोई तत्काल वित्तीय लेन-देन या गोपनीय कार्य न करें।

→ संदिग्ध संचार की रिपोर्ट चक्षु (CHAKSHU) पोर्टल - sancharsaathi.gov.in पर करें।

फर्जी

सी.आई.एस.ओ. ऑफिस

यूको बैंक UCO BANK

आज की साइबर सुरक्षा युक्ति

जो दिखता है, वो हमेशा सच नहीं होता है!

धोखेबाज विश्वास जीतने और धोखा देने के लिए एआई-निर्मित डीपफेक वीडियो का उपयोग करते हैं।

पहले सत्यापित करें और फिर भरोसा करें !

यूको बैंक UCO BANK

- प्रश्न** क्या अपने बैंक खाते में पैसा मंगाने के लिए यूपीआई पिन की आवश्यकता होती है?
- उत्तर** जी नहीं। यूपीआई ट्रांजैक्शन पिन का उपयोग खाते से पैसा निकालने के लिए किया जाता है। खाते में पैसा प्राप्त करने के लिए यूपीआई पिन की आवश्यकता नहीं होती है।
- प्रश्न** क्या अपने मोबाइल फोन में एनीडेस्क अथवा टीम व्यूअर क्लिक सपोर्ट ऐप इंस्टॉल करना चाहिए?
- उत्तर** जी नहीं। यदि आप इस ऐप को इंस्टाल करते हैं और ऐप में दिया गया 9 नंबर का कोड किसी को बताते हैं तो वह आपका मोबाइल फोन हैक कर लेगा और बैंक खाते की जानकारी लेकर आपके खाते से पैसा निकाल लेगा।
- प्रश्न** अंजान नंबर से आने वाली विडियो कॉल रिसीव करनी चाहिए कि नहीं?
- उत्तर** जी नहीं। क्योंकि अंजान नंबर से विडियो कॉल रिसीव करने पर आप ब्लैकमेल और साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं।
- प्रश्न** बैंक केवाईसी कैसे / कहाँ जाकर अपडेट करें?
- उत्तर** बैंक की शाखा में, बैंक मित्र / बीसी लोकेशन पर, इंटरनेट बैंकिंग / मोबाइल बैंकिंग से अथवा बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर वीडियो केवाईसी के माध्यम से अपना केवाईसी अद्यतन करा सकते हैं।

प्रश्नोत्तरी

प्रश्न क्या अपने बैंक खाते का प्रयोग दूसरे व्यक्ति का पैसा मंगाने के लिए किया जाना चाहिए?

उत्तर जी नहीं। यदि कोई आपसे आपका बैंक खाता नंबर अपने पैसे मंगाने के लिए माँगता है तो उसे साफ मना कर दें।

प्रश्न यदि आपको सीबीआई, ईडी, पुलिस, आरबीआई, इनकम टैक्स इत्यादि के नाम पर कोई वीडियो कॉल आती है तो क्या करना चाहिए?

उत्तर डरिए मत! इसकी शिकायत नजदीकी पुलिस स्टेशन पर या <https://cyber-crime.gov.in> पर कीजिए।

प्रश्न क्या साइबर धोखाधड़ी की शिकायत अपने बैंक में भी करनी चाहिए?

उत्तर इसके बारे में अपने बैंक को जरूर सूचित करें ताकि ऑनलाइन बैंकिंग सुविधाओं को ब्लॉक किया जा सके।

प्रश्न क्या फोन/मैसेज/ईमेल/सोशल मीडिया/लिंक इत्यादि के माध्यम से अपने गोपनीय व्यक्तिगत और वित्तीय विवरण जैसे आधार नंबर, पैन नंबर, ओटीपी, डेबिट/क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी तिथि, सीवीवी, ऑनलाइन बैंकिंग पासवर्ड, पिन इत्यादि को साझा करना चाहिए?

उत्तर जी नहीं। यदि आपने उपर्युक्त विवरण साझा किया तो आपके साथ साइबर धोखाधड़ी हो सकती है।

प्रश्न क्या किसी अंजान व्हाट्सएप अथवा टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहिए?

उत्तर जी नहीं। अगर आप ऐसे ग्रुप में जुड़ेंगे तो आपके साथ साइबर धोखाधड़ी हो सकती है।

प्रश्न साइबर सुरक्षा से संबंधित नवीनतम जानकारी कहाँ से प्राप्त करें?

उत्तर भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र, गृह मंत्रालय के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट **CyberDost** को फॉलो करें।

प्रश्न साइबर धोखाधड़ी की शिकायत कहाँ करें?

उत्तर राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत कॉल करें अथवा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल <https://cybercrime.gov.in> पर रिपोर्ट करें।

आज की साइबर सुरक्षा युक्ति

सावधान !

अगर कोई आपको कमीशन के बदले अपने बैंक खाते से पैसा ट्रांसफर करने के लिए कहता है, तो वे आपको **मनी म्यूल** बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं।

#आसानपैसा
#झटपटकमाई
#अवैधलेनदेन

CYBER SAFETY TIP OF THE DAY

साइबर जागरूकता

यूपीआई प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रहने के लिए 5 युक्तियाँ

1. भुगतान करने से पहले हमेशा यूपीआई आईडी सत्यापित करें
2. यूपीआई पिन केवल यूपीआई ऐप के आधिकारिक पेज पर दर्ज करें
3. यूपीआई पिन दर्ज या क्यूआर कोड स्कैन केवल भुगतान करने के लिए करें, पैसे प्राप्त करने के लिए नहीं
4. लेंदेन संबंधी मुद्दों के लिए आधिकारिक यूपीआई ऐप पर सहायता संविभाग का उपयोग करें
5. पैसे कटने पर एसएमएस चेतावनी संदेश या सूचना देख लें

आज की साइबर सुरक्षा युक्ति

अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें

अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर मजबूत पासवर्ड लगाकर रखें और अनाधिकृत प्रयोग को रोकने के लिए स्वतः/ऑटो-लॉक सुविधा का उपयोग करें।

डिजिटल बैंकिंग उत्पाद



बैंक में हाल ही में किए गए धोखाधड़ी की कार्य प्रणाली और सीखने योग्य बातें

गैर-अग्रिम धोखाधड़ी (एनईएफटी/आरटीजीएस)

कार्यप्रणाली- एक ग्राहक द्वारा जमा किए गए आरटीजीएस अधिदेश फॉर्म को धोखेबाज द्वारा बदल दिया गया और गलत लाभार्थी को धनराशि अंतरित कर दी गई जैसा कि जाली आरटीजीएस अधिदेश फॉर्म में दिया गया था।

कार्य-बिंदु :

- भुगतान/अंतरण के मामले में, ग्राहकों से अधिक मूल्य वाले लेन-देन के लाभार्थी विवरण के प्राधिकरण और सत्यापन के लिए संपर्क किया जाना चाहिए और अधिमानतः मौजूदा नीति के अनुसार अन्य लेन-देन के लिए भी संपर्क किया जाना चाहिए।
- भुगतान से संबंधित धोखाधड़ी में वृद्धि को देखते हुए, आरटीजीएस/एनईएफटी प्रपत्रों की सावधानीपूर्वक जाँच की जानी चाहिए और साथ ही चेक परिवर्तन/असली होने की भी जाँच की जानी चाहिए।
- आरटीजीएस/एनईएफटी अधिदेशों या किसी अन्य वित्तीय/गैर-वित्तीय अधिदेशों को सुरक्षित स्थानों पर और कड़ी निगरानी में रखा जाना चाहिए।
- शाखा अधिकारी ग्राहकों से चेक के पिछले हिस्से पर लाभार्थी का नाम और खाता संख्या लिखने के लिए कह सकते हैं।

कर्मचारी संबंधित धोखाधड़ी

कार्यप्रणाली- एक शाखा का दैनिक मजदूर जो बाद में बैंक के स्थायी कर्मचारी के रूप में पुष्टि और शामिल किया गया और उसी शाखा से मुख्य खजांची के पद पर पदोन्नत किया गया। वह खुद धोखाधड़ी में शामिल था, काउंटर पर जमा की गई नकदी ग्राहकों के खाते में जमा नहीं करते थे और ग्राहकों की सहमति के बिना उनके बचत खाते से नकदी निकाल लेते थे।

कार्य-बिंदु :

- नकदी सार (कैश समरी) प्रतिदिन तैयार की जानी चाहिए और शाखा में नकदी प्रभारी/मुख्य खजांची और उप शाखा प्रमुख द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। नकदी की किसी भी कमी की सूचना तुरंत नियंत्रक कार्यालय को दी जानी चाहिए।
- सिस्टम द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट और भौतिक नकदी शेष के साथ प्रतिदिन नकदी मिलान किया जाना चाहिए।
- ग्राहकों को जागरूक किया जाना चाहिए कि वे सभी जमा/निकासी के लिए भेजे गए एसएमएस/ई-मेल अधिसूचना से और पासबुक अद्यतन से भी जमा की पुष्टि की जांच करें।
- आकस्मिक नकदी सत्यापन ठीक से किया जाना चाहिए।
- शाखा स्तर पर गैर-नकद संभालने वाले कर्मचारियों या आस-पास की शाखाओं के किसी अन्य कर्मचारी द्वारा भौतिक नकदी का समय-समय पर औचक निरीक्षण किया जाना चाहिए।

अग्रिम धोखाधड़ी: स्वर्ण ऋण में धोखाधड़ी

कार्यप्रणाली- एक ग्राहक ने पहली बार शाखा से स्वर्ण ऋण लिया। वही ग्राहक अधिक मूल्य का दूसरा स्वर्ण ऋण लेने के लिए पुनः शाखा में आया, लेकिन जब उसी मूल्यांकक द्वारा स्वर्ण आभूषणों की जाँच की गई तो वे नकली पाए गए और आगे कोई स्वर्ण ऋण संस्वीकृत नहीं किया गया। उपर्युक्त निष्कर्ष के आधार पर पहले गिरवी रखे गए सोने का परीक्षण किया गया और पिघलाने के बाद कुछ भाग नकली पाया गया।

कार्यप्रणाली- एक अंचल के अंतर्गत एक शाखा में एक ग्राहक को सूचीबद्ध स्वर्ण मूल्यांकनकर्ता से सोने की शुद्धता की जाँच के बाद 5 स्वर्ण ऋण संस्वीकृत किए गए थे। नियमित तिमाही जाँच के दौरान, सभी 5 स्वर्ण ऋणों में गिरवी रखा सोना नकली और जाली पाया गया।

कार्य-बिंदु :

- शाखा अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे शाखा में स्वर्ण ऋणों के मूल्यांकन के दौरान सतर्क रहें।
- यदि संभव हो तो एक ही उधारकर्ता द्वारा दूसरे स्वर्ण ऋण के लिए स्वर्ण आभूषणों के मूल्यांकन में एक ही मूल्यांकनकर्ता को शामिल न करें।
- यह सुनिश्चित करें कि संस्वीकृति के दौरान शाखा के सभी स्वर्ण ऋण खातों में एक ही मूल्यांकनकर्ता को शामिल न किया जाए।
- बैंक द्वारा समय-समय पर परिचालित मौजूदा दिशा-निर्देशों का निष्ठापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

नकदी ऋण और सावधि ऋण में धोखाधड़ी

कार्यप्रणाली- कंपनी ने निधियों का अन्यत्र उपयोग करके बैंक के साथ धोखाधड़ी की और उसका उपयोग जिस प्रयोजन के लिए संस्वीकृत किया गया था उसे छोड़कर अन्य प्रयोजनार्थ किया है। कंपनी ने अपरिचित देनदार भी बनाए, स्टॉक हटा दिए, स्टॉक ऑडिट के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया और निदेशकों/गारंटर्स के नाम पर और उनके परिवार के सदस्यों/समूह कंपनियों के नामों पर बैंक के निधियों का उपयोग करके धन का सृजन किया। इस तरह, आय सृजन संपत्ति/व्यवसाय बनाने के बजाय व्यक्तिगत संपत्ति निर्माण के लिए बैंक के निधियों का उपयोग किया जाता है।

कार्य-बिंदु :

- उधारकर्ता पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्तपोषण से पहले संभावित उधारकर्ताओं के बारे में बाजार पूछताछ की जानी चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि उधारकर्ता विस्तृत व्यावसायिक योजनाएं, नकदी प्रवाह अनुमान और ऋण का उद्देश्य प्रदान करें। यह निधि की वैध आवश्यकता को सत्यापित करने में मदद करता है।
- संबंधित पक्ष के लेन-देन की जांच करने या असंबंधित पक्षों को निधि अंतरण पर अंकुश लगाने के लिए समय-समय पर लेनदेन संचालन की निगरानी की जानी चाहिए।
- सभी ऋण खातों में बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निधि का अंतिम उपयोग किया जाए अर्थात् निधि का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जाए जिसके लिए इसे उधार दिया गया है।
- उधारकर्ता के खाते की निगरानी की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नकदी ऋण खाते के माध्यम से बिक्री की आय भेजी गई है और यदि कोई गैर-अनुपालन देखा जाता है तो ऋणकर्ता से उसके औचित्य पूछा जाना चाहिए।
- बैंक वित्त से सृजित संपत्ति की जाँच करने और निधि के अंतिम उपयोग को सत्यापित करने के लिए स्टॉक विवरण की समय-समय पर निगरानी और व्यावसायिक इकाई का निरीक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- संयंत्र और मशीनरी के आपूर्तिकर्ताओं को सीधे भुगतान के माध्यम से ऋण का संवितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि बैंक के निधि का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए न किया जाए।

यूको ट्रेडर ऋण में धोखाधड़ी

कार्यप्रणाली- स्टॉक और अन्य कार्यशील पूंजी की जरूरतों की खरीद के लिए यूको ट्रेडर योजना के तहत 200 लाख रुपये की निधि आधारित नकदी ऋण सुविधा के अधिग्रहण एवं संवर्धन की संस्वीकृति। खाता कुछ समय के लिए नियमित रूप से चल रहा था और उसके बाद खाते में परिचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया। जांच रिपोर्ट के अनुसार, फर्म के खाते के लगभग सभी निकासी और जमा लेनदेन को दूसरे बैंक के खाते के माध्यम से भेजा गया है।

कार्य-बिंदु :

- आहरण शक्ति की अनुमति देने से पहले स्टॉक और बही ऋण विवरण को समय-समय पर बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार भौतिक रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए।
- वित्तीय विवरणों में उल्लिखित सभी ग्राहकों के खातों की निगरानी की जानी चाहिए और ग्राहक द्वारा बिक्री के आंकड़ों की स्फीति की जांच करने के लिए मिलान किया जाना चाहिए।
- बैंक के सभी मौजूदा दिशानिर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन किया जाना चाहिए।
- खरीद और बिक्री के चालान ग्राहकों से एकत्र किए जाने चाहिए और किसी भी अप्रासंगिक खरीद या बिक्री लेनदेन का पता लगाने के लिए उनकी जाँच की जानी चाहिए।

भुगतान से संबंधित धोखाधड़ी

कार्यप्रणाली- ग्राहक को उसके खाते से कुछ राशि काटे जाने का संदेश प्राप्त हुआ। शाखा में जाने के बाद उसने पाया कि उसके खाते से ईपीएस चैनल के माध्यम से धन की निकासी की गई है और यह उसके द्वारा नहीं किया गया है। ग्राहक के बचत खाते से ग्राहक की जानकारी के बिना ईपीएस चैनल के माध्यम से निकासी किया गया। ग्राहक ने अपना मोबाइल फोन खो दिया, इसके बाद कियोस्क के माध्यम से अपनी पासबुक को अद्यतित करने पर उसे पता चला कि कई धोखाधड़ी वाले लेनदेन के माध्यम से उसके खाते से कुछ राशि निकाल ली गई है। बाद में उसने साइबर अपराध विभाग के साथ धोखाधड़ी वाले यूपीआई लेनदेन की सूचना दी।

कार्य-बिंदु :

- जब तक ग्राहक स्वयं कॉल नहीं करते हैं तब तक फोन या संदेश पर व्यक्तिगत विवरण साझा न करें। गूगल पर दिखाई देने वाली ग्राहक सेवा पर विश्वास न करें।
- सतर्क रहें और संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें, अज्ञात प्रेषकों से ईमेल की पुष्टि करें और सुरक्षा पैच के लिए सॉफ्टवेयर को अद्यतित रखें।
- यूआईडीएआई पोर्टल में उपलब्ध विकल्प के माध्यम से आधार बायोमेट्रिक को लॉक करें। बायोमेट्रिक को लॉक/अनलॉक करने का लिंक <https://residents.uidia.aov.in/bio-lock> है।
- अपने मोबाइल में ओ.टी.पी. प्राप्त करने के लिए अपने मोबाइल नंबर को आधार रिकॉर्ड के साथ-साथ बैंक खाते में भी अद्यतन रखें। कई आधार सेवाएं हैं जो केवल ओटीपी के माध्यम से उपलब्ध हैं।
- आधार डेटा के लिए नामांकन करते समय अतिरिक्त सतर्क रहें। ऐसी घटनाएँ हैं, जहाँ एसीई में आधार संचालक, ग्राहक की सहमति/अनुरोध के बिना भी बायोमेट्रिक अद्यतन कर रहा है।
- फोन पर व्यक्तिगत विवरण तब तक साझा न करें जब तक कि ग्राहक स्वयं कॉल न करें।
- मोबाइल या डेबिट कार्ड और अन्य बैंक संबंधित दस्तावेज के खो जाने की स्थिति में शाखा को तत्काल सूचित करें।
- किसी भी अनधिकृत लेन-देन से बचने के लिए मोबाइल खो जाने की स्थिति में बचत खाते और अन्य बैंकिंग खातों में अपना मोबाइल नंबर तुरंत बदल दें।

भारत के संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान

भारत का संविधान: भाग- V

अनुच्छेद 120: संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा

1. भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा।
2. परंतु, यथास्थिति, राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य की, जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृ-भाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।
3. जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो "या अंग्रेजी में" शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो।

भारत का संविधान: भाग- VI

अनुच्छेद 210: विधान-मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा

1. भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा।
2. परंतु, यथास्थिति, विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।
3. जब तक राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो "या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो:
4. परंतु हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के विधान-मंडलों के संबंध में, यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले पंद्रह वर्ष "शब्दों के स्थान पर "पच्चीस वर्ष" शब्द रख दिए गए हों।
5. परंतु यह और कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्यों के विधान-मंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले पंद्रह वर्ष " शब्दों के स्थान पर " चालीस वर्ष " शब्द रख दिए गए हों।

भारत का संविधान: भाग- XVII

अध्याय 1 - संघ की भाषा

अनुच्छेद 343: संघ की राजभाषा

1. संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।
1. खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभसे ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।
परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

3. इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि के पश्चात्, विधि द्वारा

क) अंग्रेजी भाषा का या

ख) अंकों के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अनुच्छेद -344: राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति

1. राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात् ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा, एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी।

2. आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को--

क) संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग,

ख) संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों,

ग) अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा,

घ) संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप,

ड) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय, के बारे में सिफारिश करें।

1. खंड (2) के अधीन अपनी सिफारिशें करने में, आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा।

1. एक समिति गठित की जाएगी जो तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे और दस राज्य सभा के सदस्य होंगे जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

1. समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे।

1. अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति खंड (5) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश दे सकेगा।

अध्याय-2 : प्रादेशिक भाषाएँ

अनुच्छेद 345: राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ

अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा:

परंतु जब तक राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

अनुच्छेद 346: एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा

संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी:

परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा।

अनुच्छेद 347: किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध

यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।

अध्याय 3 - उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा

अनुच्छेद 348: उच्चतम न्यायालय और उन्नत न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा

1. इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक —
 - क) उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी,
 - ख) i. संसद् के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के,
 - ii. संसद् या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के, और
 - iii. इस संविधान के अधीन अथवा संसद् या किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के, प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे।
 2. खंड (1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा:
- परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगी।
3. खंड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी राज्य के विधान मंडल ने, उस विधान-मंडल में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा (iv) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

अनुच्छेद 349: भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया

इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि के दौरान, अनुच्छेद 348 के खंड (1) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद् के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुरःस्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड (4) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् ही देगा, अन्यथा नहीं।

अध्याय 4- विशेष निदेश

अनुच्छेद 350: व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा

प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।

क) प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं

प्रत्येक राज्य और राज्य राज्य के के भीतर भीतर प्रत्येक प्रत्येक स स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

ख. भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी

1. भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।
2. विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करें, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा।

अनुच्छेद 351: हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश

संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्थानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

आज की साइबर सुरक्षा युक्ति

साइबर जागरूकता

- अज्ञात संदेशों या कॉल का जवाब देने से बचें।
- क्लिक करने से पहले सोचें।
- किसी अजनबी के कहने पर उपयोगकर्ता द्वारा प्रेरित कार्रवाइयों / कार्यों में शामिल होने से बचें।
- अज्ञात ऐप्स या संलग्नक डाउनलोड करने से बचें।
- संवेदनशील, व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें।
- अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल की गोपनीयता सेटिंग्स को अति प्रतिबंधित स्तर पर रखें।

जागरूक रहें.. सुरक्षित रहें

यूको बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
सम्मान आपके विश्वास का
Honour Your Trust

गतिविधियां



एमएसएमई, कृषि एवं संसाधन कार्निवल



संतृप्ति अभियान, छौड़ाही शाखा



ग्राहक सेवा समिति बैठक, वीरपुर



कासा शिविर, बलिया शाखा

वीरपुर शाखा



मेगा ऋण शिविर, तारापुर शाखा



पेंशनर्स बैठक, बेगूसराय मुख्य शाखा

स्वतंत्रता दिवस, 2025





यूको बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)



UCO BANK
(A Govt. of India Undertaking)



सम्मान आपके विश्वास का

Honours Your Trust

केवाईसी/पुनः केवाईसी अद्यतनीकरण

प्रिय ग्राहक,

आपका केवाईसी/पुनः केवाईसी अद्यतन होना शेष है। यदि आपकी आईडी और पता बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार समान है तो आप इसे "REKYC" (स्पेस) SAME (स्पेस) Date of Birth (DD/MM/YYYY)" प्रारूप में, उदाहरण के लिए "REKYC SAME 20/05/1969" अपने पंजीकृत मोबाईल नं. से 9222200799 पर एसएमएस भेजकर अद्यतन कर सकते हैं।

पते, ओवीडी और अन्य विवरणों में परिवर्तन के मामले में कृपया घोषणा-पत्र के साथ नवीनतम आईडी, पता प्रमाण पासपोर्ट आकार की एक फोटो पंजीकृत डाक, कोरियर, ई-मेल (शाखा ई-मेल) के माध्यम से भेजे या शाखा स्टाफ से सम्पर्क करें।

कृपया ध्यान दें कि समय से केवाईसी विवरण जमा/ अद्यतन नहीं किया जाता है तो बैंक आपके खाते की डेबिट फ्रीज कर सकता है।

कृपया विस्तृत दिशानिर्देश के लिए हमारी वेबसाइट www.ucobank.com देखें।

शाखा प्रबंधक

दैनिक कार्यों में प्रयुक्त होनेवाली टिप्पणियाँ Noting to be used in Daily Routine

Accepted	स्वीकृत
Approved	अनुमोदित
Action May be taken	कार्रवाई की जाए
All concerned to note	सभी संबंधित व्यक्ति इसे नोट करें
Approved as proposed/suggested	प्रस्ताव/सुझाव के अनुसार अनुमोदित
Approval may be obtained	अनुमोदन प्राप्त किया जाए
Arrangement may be made	व्यवस्था की जाए
Await reply/report	उत्तर/रिपोर्ट की प्रतीक्षा करें
Bill may be paid	बिल का भुगतान करें
Call for report	रिपोर्ट मंगवाएँ
Copy may be sent	प्रतिलिपि भेजी जाए
Draft for Approval	अनुमोदन हेतु मसौदा
Explanation may be called for	स्पष्टीकरण मांगा जाए
For Consideration	विचारार्थ
For Information	सूचनार्थ
For perusal	अवलोकनार्थ
Give top priority	सर्वोच्च प्राथमिकता दे
I agree/Agreed	मैं सहमत हूँ/सहमत
Keep this in abeyance	इसे रोक रखें
May be informed accordingly	तदनुसार सूचित किया जाए
May be sanctioned	संस्वीकृति दी जाए
May be treated as closed	बंद समझा जाए
May be treated as urgent	इसे अत्यावश्यक समझा जाए
Most urgent	अत्यावश्यक
Necessary action may be taken	आवश्यक कार्रवाई की जाए
No further action is required	आगे कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है
Noted	नोट किया
Offer your comments	अपनी टिप्पणी दें
Payment may be made	भुगतान किया जाए
Please acknowledge	कृपया पावती दें
Please ensure	कृपया सुनिश्चित करें
Please explain the matter	कृपया मामले को स्पष्ट करें
Please offer your comment	कृपया अपनी टिप्पणी दें

अभिज्ञा तिवारी

बाल कला


अभिज्ञा तिवारी
पिता-राम अभिषेक तिवारी

दर्शिता सलारिया
पिता- अनिल सलारिया



पिता-राम

प्रश्न समाधान संपर्क विवरण



कक्ष	ई-मेल	संपर्क नंबर
एम -बैंकिंग कक्ष	uco.mbanking@ucobank.co.in	033 4455 9084
ई-बैंकिंग कक्ष	hoe_banking.calcutta@ucobank.co.in	033 4455 9073
एटीएम	hoatm.calcutta@ucobank.co.in hoatm.project@ucobank.co.in	033 4455 9003
डेबिट कार्ड	hoatm.calcutta@ucobank.co.in hoatm.project@ucobank.co.in	033 4455 9003
फिनटेक	hodbd.fintech@ucobank.co.in	033 4455 9674
पीओएस	poscell@ucobank.co.in	033 4455 9674
डिजिटल ऋण	digital.lending@ucobank.co.in	033 4455 9134

स्मार्ट सेविंग्स की शुरुआत करें

यूको 444

सावधि जमा योजना

न्यूनतम जमा राशि: ₹10,000/-

अधिकतम जमा राशि: ₹3 करोड़ से कम

@ 6.60%*
प्रति वर्ष

निवासी वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर:

7.10%* प्रति वर्ष



आवेदन करने से लिए
QR को स्कैन करें



यूको आशा
पेंशन योजना
(बचत जमा उत्पाद)



निःशुल्क
20 लाख
रुपये
का व्यक्तिगत
दुर्घटना बीमा

सेवानिवृत्त जीवन के प्रत्येक
क्षण में सुगम जीवन का वादा

लाभ:

• निःशुल्क रुपये सेलेक्ट डेबिट कार्ड
• एनईएफटी, आरटीजीएस या डीडी
पर कोई शुल्क नहीं

• अपोलो फार्मसी पर 15% छूट
• पेंशन ओवरड्राफ्ट सुविधा

*निष्ठ एवं शर्तें लागू

1800 8910 (Toll Free) 8334001234 7666399400 Follow us 1800-103-0123 (Toll Free) 8334001234 7666399400 Follow us

आज की
साइबर सुरक्षा युक्ति



जो दिखता है,
वो हमेशा
सच नहीं
होता है!

धोखेबाज विश्वास जीतने और धोखा देने के लिए
एआई-निर्मित डीपफेक वीडियो का उपयोग करते हैं।

पहले सत्यापित करें और फिर भरोसा करें!

Disclaimer: The Illustrations/Images/Logos (courtesy from various sources etc., Internet, photo gallery etc.) used are strictly for the purpose of cyber literacy/education without any commercial purpose intended thereof.

ऑनलाइन वित्तीय
घोखाघड़ी के मामले में
डायल करें 1930
(भारत सरकार का कार्यक्रम)
WWW.CYBERCRIME.GOV.IN

यूको बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)



यूको बैंक की लॉकर सेवा
का लाभ उठाएं ऑनलाइन।
बस UCO mBanking Plus app
के माध्यम से आवेदन करें।

UCO mBanking Plus app

SCAN TO DOWNLOAD

3

www.ucobank.com 1800 8910 (Toll Free) 8334001234 Follow us on: 1800-103-0123 (Toll Free) 8334001234 7666399400 Follow us



मनी म्यूल <=> अपराध साथी

परिणाम गंभीर हो सकते हैं !

रुके..

सोचें..

कार्य करें

संदिग्ध संचार या साइबर अपराध की तुरंत रिपोर्ट करें!



चक्षु पोर्टल

www.sancharsaathi.gov.in

साइबर क्राइम हेल्पलाइन

☎ 1930



ऑनलाइन शिकायत

www.cybercrime.gov.in

#मनीम्यूलमतबनो

यूको बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)



UCO BANK

(A Govt. of India Undertaking)

सम्मान आपके विश्वास का

Honours Your Trust